

वित्त (संख्या 2) विधेयक, 2004

प्रत्यक्ष-कर के संबंध में उपबंध

वित्त (सं. 2) विधेयक, 2004 में, प्रत्यक्ष-कर के क्षेत्र में निम्नलिखित विषयों के संबंध में उपबंध हैं:-

- (i) निर्धारण वर्ष 2004-2005 के लिए कर के लिए दायी आय पर, आय-कर की दरों का विहित किया जाना; उन दरों का विहित किया जाना; जिन पर वित्तीय वर्ष 2004-2005 के दौरान ब्याज (जिसके अन्तर्गत प्रतिभूतियों पर ब्याज भी है), लाटरी या वर्ग पहली से जीत, घुड़दौड़ से जीत, ताश के खेल और ऐसे अन्य प्रवर्ग की आय पर, जो आय-कर अधिनियम के अधीन स्रोत पर कर की ऐसी कटौती या संग्रहण के दायित्वाधीन है, वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए कुछ दशाओं में चालू आय पर "अग्रिम कर" की संगणना करने, "वेतन" से आय-कर की कटौती करने, कर संदाय करने तथा आय-कर प्रभारित करने के लिए दरों का विहित किया जाना।
- (ii) अन्य बातों के साथ-साथ सामाजिक कल्याण, कर आधार को बढ़ाने, सामाजिक-आर्थिक वृद्धि के संवर्धन के उपाय, राजस्व हानि को रोकने के उपाय, सुव्यवस्थीकरण और सरलीकरण उपाय और वित्तीय बाजारों को बढ़ावा देने का उपबंध करने के लिए आय-कर अधिनियम का संशोधन।
- (iii) धन-कर अधिनियम, 1957 का संशोधन।

2. ऐसे कुछ अपवादों के अधीन रहते हुए, जिन्हें सुसंगत उपबंधों की व्याख्या करते समय उपदर्शित किया गया है, विधेयक इस सिद्धांत का अनुसरण करता है कि चालू आय के संबंध में कर विधि के उपबंधों में परिवर्तन साधारणतया भविष्यलक्षी प्रभाव से होने चाहिए, न कि विगत वर्षों की आय के संबंध में। प्रत्यक्ष-करों के संबंध में, विधेयक के मुख्य उपबंधों का सार निम्नलिखित पैराओं में स्पष्ट किया गया है:-

आय-कर

I. निर्धारण वर्ष 2004-2005 के लिए कराधेय आय की बाबत आय-कर की दरें

निर्धारण वर्ष 2004-2005 के लिए कर के लिए दायी सभी प्रवर्गों के करदाताओं (निगमित और अनिगमित) की आय की बाबत, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट की गई हैं और ये दरें वही हैं, जो वित्त अधिनियम, 2003 की पहली अनुसूची के भाग 3 में अधिकथित हैं, जो वित्तीय वर्ष 2003-2004 के दौरान "अग्रिम कर" की संगणना करने, "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती करने तथा कुछ दशाओं में संदेय कर प्रभारित करने के प्रयोजनों के लिए हैं। यह भी विनिर्दिष्ट किया गया है कि ऐसे व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, व्यक्तियों के संगम, व्यष्टिकों के निकाय, जिनकी कुल आय 8,50,000/-रुपए से अधिक है, की दशा में अध्याय 8क के अधीन छूट के पश्चात् इस प्रकार संगणित कर में संघ के प्रयोजनों के लिए दस प्रतिशत के अधिभार के रूप में वृद्धि की जाएगी। प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, फर्म, की दशा में, इस प्रकार संगणित कर में संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार के रूप में वृद्धि की जाएगी। इसके अतिरिक्त किसी फर्म, स्थानीय प्राधिकारी, सहकारी सोसायटी और कंपनी की दशा में इस प्रकार संगणित कर में संघ के प्रयोजनों के लिए ढाई प्रतिशत अधिभार के रूप में वृद्धि की जाएगी।

II. वित्तीय वर्ष 2004-2005 के दौरान 'वेतन' से भिन्न आय से स्रोत पर आय-कर की कटौती की दरें

वित्तीय वर्ष 2004-2005 के दौरान "वेतन" से भिन्न आय से स्रोत पर आय-कर की कटौती की दरें, विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट की गई हैं और ये प्रतिभूति पर लाभांश ब्याज, प्रतिभूति पर ब्याज से भिन्न ब्याज, बीमा कमीशन, लाटरी या वर्ग पहली से जीत, घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय को तथा अनिवासी (जिनके अन्तर्गत अनिवासी भारतीय भी हैं) की आय को लागू होती हैं। ये दरें वही हैं, वित्त अधिनियम, 2003 की पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट हैं। प्रत्येक मामले में स्रोत पर कर की कटौती में निम्नलिखित रूप में संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार के रूप में वृद्धि की जाएगी:

- (i) प्रत्येक व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, व्यक्ति संगम और व्यक्ति निकाय की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर पर जहां आय या ऐसी कुल आय का संदाय किया गया है या संदाय किए जाने की संभावना है, जो 8,50,000 रुपए से अधिक है;
- (ii) प्रत्येक सहकारी सोसायटी, फर्म, स्थानीय प्राधिकरण और कंपनी की दशा में, ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से; और
- (iii) प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से,

सरकार की अच्छी गणवत्ता की शिक्षा के सार्वभौमिकरण की प्रतिबद्धता का वित्त पोषण करने के लिए शिक्षा उपकर नामक एक अतिरिक्त अधिभार, कटौती किए गए कर की रकम या संदत्त अग्रिम कर जिसमें अधिभार शामिल है पर दो प्रतिशत की दर से अधिरोपित किया गया है।

III. वित्तीय वर्ष 2004-2005 के दौरान 'वेतन' से स्रोत पर आय-कर की कटौती, 'अग्रिम-कर' की संगणना और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने की दरें

वित्तीय वर्ष 2004-2005 के दौरान, "वेतन" से स्रोत पर आय-कर की कटौती की दरें और करदाताओं के सभी प्रवर्गों की दशा में, उस वर्ष के दौरान संदेय "अग्रिम कर" की संगणना के लिए भी आय-कर की कटौती की दरें, विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें उन मामलों में, जहां त्वरित निर्धारण किए जाने हैं, जैसे कि अनिवासियों को भारत में पोत परिवहन से उद्भूत लाभों के अन्तिम निर्धारण, उस वित्तीय वर्ष के दौरान सदैव के लिए भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों की दशा में, निर्धारण या ऐसे व्यक्तियों का निर्धारण, जिनके द्वारा कर, आदि से बचने के लिए सम्पत्ति अन्तरित किए जाने या लघु अवधि आदि के लिए बनाए गए निकायों का निर्धारण किए जाने की संभावना है, चालू आय पर वित्तीय वर्ष 2004-2005 के दौरान आय-कर प्रभारित करने के लिए भी लागू हैं।

सरकार की अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा के सार्वभौमिकरण की प्रतिबद्धता का वित्त पोषण करने के लिए शिक्षा उपकर नामक एक अतिरिक्त अधिभार, कटौती किए गए कर की रकम या संदत्त अग्रिम कर जिसमें अधिभार शामिल है पर दो प्रतिशत की दर से अधिरोपित किया गया है।

उक्त भाग 3 में विनिर्दिष्ट दरों की मुख्य बातें निम्नलिखित पैराओं में उपदर्शित की गई हैं :-

क. व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, आदि

पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, व्यक्तियों के संगम, आदि के मामले में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है।

दर संरचना में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। ऐसे मामलों में, जहां कुल आय 8,50,000/- से अधिक है, संदेय कर में संघ के प्रयोजनों के लिए संदेय कर की (अध्याय 8क के अधीन छूट अनुज्ञात करने के पश्चात्) दस प्रतिशत की दर से अधिभार के रूप में वृद्धि की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों द्वारा कोई अधिभार संदेय नहीं होगा जिनकी आय 8,50,000/- रुपए या उससे कम है। उपांतिक सहायता का उपबंध यह सुनिश्चित करने के लिए किया

गया है कि 8,50,000/- रुपए से अधिक आय होने पर, संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम, जिसमें अधिभार भी है, ऐसी रकम तक सीमित है जिसके द्वारा आय 8,50,000/- रुपए से अधिक होती है। तथापि शिक्षा उपकर के मामले में कोई उपातिक सहायता उपलब्ध नहीं है।

विधेयक का खंड 21 आयकर अधिनियम में एक नई धारा 88घ को अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे किसी ऐसे निवासी व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय 1,00,000 रुपए तक है, आयकर की संपूर्ण संदेय रकम पर रिबेट का उपबंध किया जा सके। प्रस्तावित संशोधन के परिणामस्वरूप 1,00,000 रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों से आयकर के संदाय की अपेक्षा नहीं होगी।

आय-स्लैब और आय-कर की दरें नीचे सारणी में दी गई हैं। स्तंभ (क) विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क में दी गई दरों को विनिर्दिष्ट करता है और स्तंभ (ख) विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क में दी गई दरों को विनिर्दिष्ट करता है:-

सारणी

(क)		(ख)	
आय-स्लैब	विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 में यथा विनिर्दिष्ट दरें (अर्थात्, वर्तमान दरें)	आय-स्लैब	विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 में यथा विनिर्दिष्ट दरें (अर्थात्, प्रस्तावित दरें)
50,000 रुपए तक	शून्य	50,000 रुपए तक	शून्य
50,001 रुपए - 60,000 रुपए	10%	50,001 रुपए - 60,000 रुपए	10% ²
60,001 रुपए - 1,50,000 रुपए	20%	60,001 रुपए - 1,50,000 रुपए	20% ³
1,50,000 रुपए से अधिक	30% ¹	1,50,000 रुपए से अधिक	30% ⁴

- ऐसे व्यक्तियों को, जिनकी कुल आय, 8,50,000/- रुपए से अधिक है, इस स्लैब में अध्याय 8क के अधीन रिबेट के पश्चात् संदेय कुल आय-कर पर दस प्रतिशत के अधिभार का संदाय करना अपेक्षित होगा।
- इस स्लैब में ऐसे व्यक्तियों से अध्याय 8क के अधीन रिबेट के पश्चात् कुल आय पर कोई आयकर संदाय करना अपेक्षित नहीं होगा।
- इस स्लैब में ऐसे व्यक्तियों से, जिनकी आय 1,00,000 रुपए तक है, अध्याय 8क के अधीन रिबेट के पश्चात् कुल आय पर कोई आयकर संदाय करना अपेक्षित नहीं होगा। तथापि, ऐसे व्यक्तियों से, जिनकी आय 1,00,000 रुपए से अधिक है, अध्याय 8क के अधीन रिबेट के पश्चात् दो प्रतिशत की दर से उपकर के संदाय की अपेक्षा होगी।
- ऐसे व्यक्तियों से, जिनकी कुल आय, 8,50,000 रुपए से अधिक है, इस स्लैब में अध्याय 8क के अधीन रिबेट के पश्चात् संदेय कुल आयकर पर दस प्रतिशत के अधिभार और दो प्रतिशत की दर पर उपकर का संदाय करने की अपेक्षा होगी।

व्यक्तियों, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, आदि की दशा में, छूट सीमा में अधिभार के उद्ग्रहण का प्रभाव विभिन्न आय स्तरों पर निम्न प्रकार से होगा:

कुल आय	विद्यमान कर दायित्व (रुपए)	नया कर दायित्व (रुपए)			अतिरिक्त कर दायित्व (रुपए)	अतिरिक्त कर दायित्व (%)
		कर दायित्व	उपकर	कुल		
50,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
55,000	500	शून्य	शून्य	शून्य	(-) 500	(-) 100
60,000	1,000	शून्य	शून्य	शून्य	(-) 1,000	(-) 100
60,010	1,002	शून्य	शून्य	शून्य	(-) 1,002	(-) 100
60,020	1,004	शून्य	शून्य	शून्य	(-) 1,004	(-) 100
60,050	1,010	शून्य	शून्य	शून्य	(-) 1,010	(-) 100
60,100	1,020	शून्य	शून्य	शून्य	(-) 1,020	(-) 100
60,200	1,040	शून्य	शून्य	शून्य	(-) 1,040	(-) 100
75,000	4,000	शून्य	शून्य	शून्य	(-) 4,000	(-) 100
1,00,000	9,000	शून्य	शून्य	शून्य	(-) 9,000	(-) 100
1,50,000	19,000	19,000	380	19,380	380	2
2,00,000	34,000	34,000	680	34,680	680	2
3,00,000	64,000	64,000	1,280	65,280	1,280	2
5,00,000	1,24,000	1,24,000	2,480	1,26,480	2,480	2
7,50,000	1,99,000	1,99,000	3,980	2,02,980	3,980	2
8,00,000	2,14,000	2,14,000	4,280	2,18,280	4,280	2
8,50,000	2,29,000	2,29,000	4,580	2,33,580	4,580	2
8,55,000	2,34,000 #	2,34,000 #	4,680	2,38,680	4,680	2
8,60,000	2,39,000 #	2,39,000 #	4,780	2,43,780	4,780	2
8,65,000	2,44,000 #	2,44,000 #	4,880	2,48,880	4,880	2
8,70,000	2,49,000 #	2,49,000 #	4,980	2,53,980	4,980	2
8,75,000	2,54,000 #	2,54,000 #	5,080	2,59,080	5,080	2
8,80,000	2,59,000 #	2,59,000 #	5,180	2,64,180	5,180	2
8,85,000	2,63,450	2,63,450	5,269	2,68,719	5,269	2
8,90,000	2,65,100	2,65,100	5,302	2,70,402	5,302	2
10,00,000	3,01,400	3,01,400	6,028	3,07,428	6,028	2
25,00,000	7,96,400	7,96,400	15,928	8,12,328	15,928	2
1,00,00,000	32,71,400	32,71,400	65,428	33,36,828	65,428	2

उपातिक सहायता का उपबंध यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि 8,50,000/- रुपए से अधिक आय होने पर, अतिरिक्त संदेय आय-कर, जिसमें अधिभार भी है, ऐसी रकम तक सीमित है जिसके द्वारा आय 8,50,000/- रुपए से अधिक होती है।

ख. सहकारी सोसाइटी

सहकारी सोसाइटी की दशा में, आय-कर की दरें, विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा ख में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें वही हैं जो विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 के तत्स्थानी पैरा में विनिर्दिष्ट हैं। संदेय कर में संघ के प्रयोजनों के लिए संदेय कर के ढाई प्रतिशत की दर से और 2 प्रतिशत की दर से उपकर द्वारा अधिभार द्वारा और 2 प्रतिशत की दर से उपकर द्वारा वृद्धि की जाएगी।

ग. फर्म

फर्म की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा ग में विनिर्दिष्ट की गई है। यह दर पैंतीस प्रतिशत ही है। फर्मों द्वारा संदेय कर में संघ के प्रयोजनों के लिए, संदेय कर के ढाई प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा और 2 प्रतिशत की दर से उपकर द्वारा जिसके अन्तर्गत अधिभार भी हैं वृद्धि की जाएगी।

घ. स्थानीय प्राधिकारी

स्थानीय प्राधिकारियों की दशा में, आय-कर की दर, विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा घ में विनिर्दिष्ट की गई है। यह दर वही है, जो विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 के तत्स्थानी पैरा में विनिर्दिष्ट है। संदेय कर में संघ के प्रयोजनों के लिए संदेय कर के ढाई प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा और 2 प्रतिशत की दर से उपकर द्वारा जिसके अन्तर्गत अधिभार भी है वृद्धि की जाएगी।

ङ. कंपनियों

कंपनियों की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा ङ में विनिर्दिष्ट की गई है। देशी कंपनियों के लिए पैंतीस प्रतिशत और विदेशी कंपनियों के लिए चालीस प्रतिशत की विद्यमान दरों में कोई परिवर्तन नहीं है। सभी कंपनियों द्वारा संदेय कर में, संघ के प्रयोजनों के लिए संदेय कर के ढाई प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा और 2 प्रतिशत की दर से उपकर द्वारा जिसके अन्तर्गत अधिभार भी हैं वृद्धि की जाएगी।

[खंड 2 और पहली अनुसूची]

कल्याणकारी उपाय

विनिर्दिष्ट शहरी सीमाओं में स्थित कृषि भूमि के अनिवार्य अर्जन पर प्राप्त प्रतिकर पर पूंजी अभिलाभों की छूट

धारा 45 के विद्यमान उपबंध विनिर्दिष्ट शहरी सीमा में स्थित कृषि भूमि के अन्तरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों को कर से प्रभारित करने का उपबंध करते हैं। उक्त धारा में यह भी उपबंध है कि जहां ऐसी भूमिका का अन्तरण किसी विधि के अधीन अनिवार्य अर्जन के रूप में किया जाता है या जहां ऐसी भूमि के अन्तरण के लिए प्रतिफल केन्द्रीय सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवधारित या अनुमोदित किया जाता है वहां इस प्रकार उद्भूत पूंजी अभिलाभ उस पूर्व वर्ष की आय के रूप में कर से प्रभार्य है जिसमें प्रतिकर या बढ़ा हुआ प्रतिकर या प्रतिफल निर्धारिती द्वारा प्राप्त किया जाता है।

ऐसे किसानों द्वारा झेली गई कठिनाईयों को न्यूनीकृत करने दृष्टि से जिनकी विनिर्दिष्ट शहरी सीमाओं में स्थित कृषि भूमि अनिवार्य रूप से अर्जित कर ली गई है, यह प्रस्ताव है कि धारा 10 में एक नई उपधारा (37) अन्तःस्थापित की जाए जिससे व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा अनिवार्य अर्जन के रूप में कृषि भूमि के अन्तरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों को वहां छूट प्रदान की जा सकती है जहां, यथास्थिति, प्रतिकर या अतिरिक्त प्रतिकर 1 अप्रैल, 2004 या उसके पश्चात् प्राप्त किए जाते हैं। यह छूट केवल तब उपलब्ध होगी जब ऐसी भूमि ऐसे व्यष्टि या उसके माता-पिता या ऐसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जा रही है।

प्रस्तवित संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 5]

केन्द्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण से लिए गए आवास ऋण के प्रतिसंदाय के लिए रिबेट

आय-कर अधिनियम की धारा 88 किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की कुल आय पर संदेय कर से कटौती के लिए उपबंध करती है, जो विनिर्दिष्ट स्कीमों में संदत्त या निक्षिप्त राशियों के नियत प्रतिशत के बराबर है।

धारा 88 की उपधारा (2) के खंड (XV) के उपखंड (ग) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंध, 70,000 रु. की संपूर्ण विनिधान अधिकतम सीमा के भीतर एक वर्ष में 20,000 रु. की सीमा तक, आवासीय गृह सम्पत्ति के क्रय या संनिर्माण की बाबत लिए गए ऋणों के प्रतिसंदाय के लिए कर रिबेट के लिए उपबंध करती है। तथापि, ऐसे ऋण केन्द्रीय सरकार, या किसी राज्य सरकार या किसी बैंक जिसमें सहकारी बैंक शामिल है, या भारतीय जीवन बीमा निगम या राष्ट्रीय आवास बैंक या आवास वित्त कारबार में लगी किसी लोक कम्पनी से या किसी ऐसे नियोजक से जो लोक कम्पनी है, या पब्लिक सेक्टर कम्पनी है कोई विश्वविद्यालय है, या कोई स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसाइटी है, से प्राप्त करने हैं।

इस उपबंध को सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से, धारा 88 की उपधारा (XV) के उपखंड (ग) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे धारा 88 के अधीन कर रिबेट की परिधि के भीतर किसी निर्धारिती द्वारा उसके नियोजक से, जो किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित प्राधिकरण, बोर्ड, निगम या कोई

निकाय है आदि हैं, आवासीय गृह सम्पत्ति से क्रय या संनिर्माण के लिए उधार ली गई रकम के प्रतिदाय के मद्दे संदत्त किसी राशि को सम्मिलित किया जा सकें।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 20]

कतिपय परिस्थितियों में सैन्य कार्रवाई के दौरान मारे गए सशस्त्र बल (जिसके अंतर्गत अर्धसैनिक बल है) के कार्मिक के कुटुम्ब सदस्यों द्वारा प्राप्त कुटुम्ब पेंशन की छूट

धारा 10 के खंड (18) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र या कतिपय अन्य अधिसूचित शौर्य पुरस्कारों के विजेताओं द्वारा प्राप्त पेंशन आय और साथ ही ऐसे व्याष्टियों के विनिर्दिष्ट कुटुम्ब सदस्यों द्वारा प्राप्त कुटुम्ब पेंशन ऐसे व्यक्तियों की कुल आय की संगणना करने में सम्मिलित नहीं की जाती है।

सशस्त्र बलों के कार्मिकों के कल्याण के हित में, उक्त धारा में एक नया खंड (19) अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां संघ के सशस्त्र बल (जिसके अंतर्गत अर्धसैनिक बल भी है) के सदस्य की मृत्यु संक्रियात्मक कर्तव्यों के दौरान हुई है और ऐसी परिस्थितियों में तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं वहां, यथास्थिति, विधवा या उनके बालकों या नामनिर्देशित वारिसों द्वारा प्राप्त की गई कुटुम्ब पेंशन को कर से छूट प्राप्त होगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 5]

ग्रामीण क्षेत्र में किसी अस्पताल का प्रचालन और अनुरक्षण करने वाले उपक्रमों की दशा में कटौती

धारा 88 झख के विद्यमान उपबंध उन कतिपय औद्योगिक उपक्रमों से प्राप्त लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती के लिए उपबंध करते हैं जो भवन निर्माण के कारबार में लगे हुए हैं, मल्टीप्लैक्स थियेटर्स या कन्वेंशन केन्द्रों के स्वामी हैं और उनका प्रचालन कर रहे हैं, आवास परियोजनाओं का विकास और उनका विनिर्माण कर रहे हैं या खाद्यानों की उठाई-धराई, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारबार या खनिज तेल के उत्पादन में लगे हुए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सीय सेवाओं के प्रसार को बढ़ाने की दृष्टि से उस धारा में एक नई उपधारा अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल के प्रचालन और उसके अनुरक्षण के कारबार से किसी उपक्रम या उद्यम द्वारा व्युत्पन्न लाभ ऐसे लाभों और अभिलाभों की शतप्रतिशत कटौती के लिए पात्र होंगे। यह कटौती उस आरम्भिक वर्ष से आरम्भ होने वाले पांच निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध होगी जिसमें उपक्रम या उद्यम चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करना आरम्भ करता है। ऐसा उपक्रम या उद्यम ऐसी कटौती के लिए पात्र होगा यदि ऐसा अस्पताल प्रवृत्त स्थानीय विनियमों के अनुसार 1 अक्टूबर, 2004 को प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान संनिर्मित किया जाता है और इसमें रोगियों के लिए कम से कम एक सौ बिस्तर हैं। इसके अतिरिक्त, कटौती का दावा करने के लिए निर्धारित को विहित प्ररूप में और आय विवरणी के साथ विहित रीति में संपरीक्षा रिपोर्ट फाइल करनी होगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 17]

स्वपरायणता, प्रमास्तिष्क घात या बहु-निःशक्तता से ग्रस्त निःशक्तता या गम्भीर निःशक्तता वाले व्यक्ति की बाबत कटौती

धारा 80प में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, पचास हजार रूपए की कटौती किसी ऐसे निवासी व्यष्टि को अनुज्ञात की जाती है जो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधीन यथा परिभाषित निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति है। पचहत्तर हजार रूपए की कटौती वहां अनुज्ञात की जाती है जहां ऐसा व्यष्टि एक या अधिक निःशक्तताओं के अस्सी प्रतिशत या उससे अधिक से पीडित "गंभीर निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति" है। इस धारा के अधीन कटौती का दावा करने वाले किसी व्यष्टि से चिकित्सीय प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की एक प्रति आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

अन्य बातों के साथ-साथ उक्त अधिनियम का स्पष्टीकरण निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के सुसंगत उपबंधों के प्रतिनिर्देश से "निःशक्तता", "चिकित्सा प्राधिकारी", "निःशक्त व्यक्ति", "गंभीर निःशक्त व्यक्ति", पदों को परिभाषित करता है।

स्वपरायणता, प्रमास्तिष्क घात और बहु निःशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों पर धारा 80प के अधीन फायदों का विस्तार करने की दृष्टि से उक्त स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमास्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनिःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 में यथा उपबंधित ऊपर उल्लिखित पदों को सम्मिलित करने के लिए निःशक्तता की परिभाषा का विस्तार किया जा सके।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 18]

किसी आश्रित के, जो स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात या बहु-निःशक्तता से पीड़ित या गंभीर निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति है, चिकित्सीय उपचार सहित भरणपोषण की बाबत कटौती

धारा 80घघ में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी निर्धारिती को, जो भारत में निवासी है, को ऐसा व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के रूप में पचास हजार रुपए की रकम की कटौती अनुज्ञात की जाती है, यदि निर्धारिती ने, पूर्व वर्ष के दौरान किसी आश्रित की बाबत जो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अधीन यथा परिभाषित निःशक्त व्यक्ति है, के चिकित्सीय उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए कोई व्यय उपगत किया है। पचहत्तर हजार रुपए की कटौती वहां अनुज्ञात की जाती है जहां ऐसा आश्रित अस्सी प्रतिशत या अधिक की किसी एक या अधिक गंभीर निःशक्तताओं से ग्रस्त हैं। "आश्रित" पद को ऐसे परिभाषित किया गया है जिससे उसमें किसी व्यक्ति की दशा में उसकी पत्नी, बालकों, माता-पिता, भाइयों और बहनों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में उसके किसी ऐसे सदस्य को सम्मिलित किया जा सके जो निर्धारिती पर पूर्णतः या मुख्यतः आश्रित है और जिसने धारा 80प के अधीन किसी कटौती का दावा नहीं किया है। इस धारा के अधीन कटौती का दावा करने वाले किसी व्यक्ति से आय की विवरणी के साथ चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है।

उक्त धारा का स्पष्टीकरण, अन्य बातों के साथ-साथ, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के सुसंगत उपबंधों के प्रतिनिर्देश से "निःशक्तता" "चिकित्सा प्राधिकारी", "निःशक्त व्यक्ति" "गंभीर निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति" पदों को परिभाषित करता है।

स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात और बहु-निःशक्तता से पीड़ित व्यक्तियों पर धारा 80घघ के अधीन फायदों का विस्तार करने की दृष्टि से, उक्त स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे राष्ट्रीय, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 में यथा उपबंधित ऊपर उल्लिखित पदों को सम्मिलित करने के लिए "निःशक्तता" की परिभाषा का विस्तार किया जा सके।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध लागू होंगे।

[खंड 15]

ऐसे व्यष्टियों के लिए जिनकी कुल आय एक लाख रुपए तक है, संदेय कर से कटौती अनुज्ञात करने के लिए नया उपबंध

निम्न आय वर्ग के निर्धारितियों को अनुतोष प्रदान करने के लिए एक नई धारा 88घ अन्तः स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसमें ऐसे व्यष्टि, द्वारा, जो भारत का निवासी है और जिसकी कुल आय एक लाख रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी संदेय आय कर की संपूर्ण रकम की रिबेट के लिए उपबंध किया गया है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध लागू होंगे।

[खंड 21]

नई पेंशन स्कीम को प्रभावी करने के लिए उपबंध

सरकारी सेवा में नए भर्ती किए गए व्यष्टियों को एक नई पेंशन स्कीम लागू की गई है। स्कीम के अनुसार 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् केन्द्रीय सरकार की सेवा में प्रवेश करने वाले व्यष्टियों के लिए यह आज्ञापक है कि वे अपने पेंशन खाते में प्रतिमास वेतन का दस प्रतिशत अभिदाय करें। खाते में सरकार द्वारा समरूप अभिदाय किया जाना अपेक्षित है।

केन्द्रीय सरकार की नई पेंशन स्कीम को प्रभावी करने के लिए, एक नई धारा 80गगघ अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिसमें यह उपबंध है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् नियोजित किसी कर्मचारी की कुल आय से, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली स्कीम के अनुसार पेंशन खाते में उसके द्वारा संदत या निक्षिप्त ऐसी रकम, जो पूर्व वर्ष में उसके वेतन के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है, कटौती करने का उपबंध है। यह और भी प्रस्ताव है कि उक्त खाते में कर्मचारी के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए समरूप अभिदाय की, कटौती करने का उपबंध किया जाए।

इसके अतिरिक्त, पेंशन खाते में निर्धारिती के प्रत्यय में जमा ऐसी रकम, जिसके लिए उसने पहले ही कटौती का दावा किया है और ऐसे खाते में अनुवृद्धि पर उस वर्ष में आय के रूप में कर लगाया जाएगा जिसमें ऐसी रकम खाता बन्द करने या उक्त खाते न रखने के उसके या वार्षिकी योजना से पेंशन की प्राप्ति पर निर्धारिती या उसके नामनिर्देशिती द्वारा ऐसी रकम प्राप्त की जाती है।

ऐसी रकमों की बाबत जिन पर धारा 80गगघ के अधीन कटौती का दावा किया गया है, पर धारा 88 के अधीन कोई रिबेट अनुज्ञात करने का प्रस्ताव नहीं है।

समुचित संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि नई पेंशन स्कीम में भाग लेने वाले किसी कर्मचारी के उक्त खाते में पूर्ववर्ती वर्ष में केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया अभिदाय कर से प्रभार्य नहीं होगा।

प्रस्तावित संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 4, 7 और 14]

कर आधार को विस्तृत करना

कृषि भूमि से भिन्न स्थावर संपत्ति के अर्जन पर संदत्त प्रतिकर पर स्रोत पर कर की कटौती

देश में बढ़ते हुए विकास और द्रुत शहरीकरण से, सरकारी अभिकरणों और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों सहित विभिन्न अभिकरणों द्वारा स्वामियों से, जिन्हें प्रतिकर दिया जाता है, विस्तृत भू-क्षेत्र तथा अनेक आवासीय भवनों का अर्जन किया जाता है।

प्रतिकर में समाविष्ट आय की सूचना न देने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की दृष्टि से, प्रतिकर की राशि पर 10 प्रतिशत की दर से कर की कटौती की अपेक्षा करने का उपाबंध अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है।

यह और उपाबंध करने का प्रस्ताव है कि, जहां स्थावर संपत्ति कृषि भूमि है, चाहे वह नगरपालिका सीमाओं के भीतर अवस्थित है अथवा नहीं और जहां संदत्त किए गए प्रतिकर की रकम 1 लाख रुपए से कम है, किसी कर की कटौती नहीं की जाएगी।

ये संशोधन 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी होंगे।

[खंड 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44 और 45]

पार्किंग स्थलों की नीलामी, पथकर की नीलामी और खदानों को पट्टे पर देने की बावत स्रोत पर कर का संग्रहण

धारा 206ग के विद्यमान उपाबंधों के अधीन कतिपय विनिर्दिष्ट माल के विक्रेता द्वारा क्रेता को संदत्त किसी रकम से विनिर्दिष्ट प्रतिशत कर का संग्रहण करना अपेक्षित है।

धारा 206ग के उपाबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, जो ऐसे पार्किंग स्थल या पथकर प्लाजा या खदान को कारबार के प्रयोजनों के लिए, पट्टा या अनुज्ञप्ति देता है या कोई संविदा करता है या अन्यथा किसी पार्किंग स्थल या पथकर प्लाजा खनन में किसी हित का किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरण करता है, कर का उपाबंध करने के लिए है।

यह प्रस्ताव है कि यथा उपाबंधित अनुसार प्रत्येक व्यक्ति द्वारा 2 प्रतिशत की दर से ऐसी किसी अनुज्ञप्ति, विनिर्दिष्ट प्रकृति के पट्टे की संविदा के अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार द्वारा संदेय रकम अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार से नकद रूप में या कोई चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से प्राप्त करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, कर का संग्रहण किया जाएगा।

ये संशोधन 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी होंगे।

[खंड 30 और 47]

वार्षिक सूचना विवरणी प्रस्तुत करने की बाध्यता

धारा 289खक के विद्यमान उपाबंध के अधीन कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई वित्तीय व्यवहार करता है, जो विहित किया जाए, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए ऐसे वित्तीय संव्यवहार की बाबत विहित समय के भीतर ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, एक वार्षिक सूचना विवरणी देगा।

उक्त धारा के विद्यमान उपाबंध सरकारी अभिकरणों या अन्य प्राधिकारियों, जो आय-कर अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सूचना के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, पर ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने की बाध्यता नहीं डालते हैं। इस धारा के विद्यमान उपाबंध ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने का प्रवर्तन करने के लिए तंत्र का भी उपाबंध नहीं करते हैं।

इसलिए उक्त धारा को नई धारा से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित धारा की उपधारा (1) यह उपाबंध करने का प्रस्ताव करती है कि कोई निर्धारिती या भारत सरकार के कार्यालय के मामले में विहित व्यक्ति या कतिपय अन्य प्राधिकारी जो 1 अप्रैल, 2004 को या उसके पश्चात ऐसे किसी विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार के रजिस्ट्रीकरण या रखने के लिए उत्तरदायी हैं, विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को जो विहित किया जाए, ऐसे संव्यवहारों के संबंध में जो 1 अप्रैल, 2004 को या उसके पश्चात रजिस्ट्रीकृत किए जाएं या अभिलिखित किए जाएं या किए जाएं की एक वार्षिक सूचना विवरणी प्रस्तुत करेंगे।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (2) में यह उपाबंध है कि वार्षिक सूचना विवरणी, ऐसी स्कीम के अनुसार जो विहित की जाए, ऐसे प्ररूप और रीति में (जिसके अन्तर्गत फ्लोपी, डिस्कट, मैगनेटिक कार्ट्रिज टेप, सीडी रोम या कोई कंप्यूटर पठनीय माध्यम है) विहित समय के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

प्रस्तावित उपधारा (3) 'विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार' पद को परिभाषित करती है जिससे कि उसमें माल या संपत्ति में अधिकार या हित के क्रय, विक्रय या विनिमय के किसी संव्यवहार या कोई सेवा जो विहित की जाए, देने के लिए किसी संव्यवहार या किसी संकर्म संविदा के अधीन किसी संव्यवहार या किए गए किसी विनिधान या उपगत किसी व्यय के रूप में किसी संव्यवहार या कोई ऋण या निक्षेप लेने या प्राप्त करने के लिए किसी संव्यवहार को सम्मिलित किया जा सके, जहां

किसी पूर्व वर्ष के दौरान ऐसे संव्यवहार का मूल्य या कुल मूल्य पचास हजार रुपए या ऐसे अन्य उच्चतर मूल्य से, जो विहित किया जाए, अधिक होता है। यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि बोर्ड विभिन्न व्यक्तियों के लिए वित्तीय संव्यवहारों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट संव्यवहारों की भिन्न रकम निहित कर सकेगा।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (4) में यह उपबंध है कि जहां विहित आय-कर प्राधिकारी यह समझता है कि वार्षिक सूचना विवरणी त्रुटिपूर्ण है वहां वह ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को उस त्रुटि की सूचना दे सकेगा और उसे एक मास या अन्य बढ़ाई गई अवधि के भीतर सुधारने का अवसर दे सकेगा और यदि त्रुटि का सुधार नहीं किया जाता है तो ऐसी विवरणी को अविधिमाम्य विवरणी समझा जाएगा और अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसा व्यक्ति वार्षिक सूचना विवरणी देने में असफल रहा हो।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (5) में यह उपबंध है कि जहां प्रस्तावित उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने विहित समय के भीतर वार्षिक सूचना विवरणी नहीं दी है, वहां विहित आय-कर प्राधिकारी उस पर एक सूचना की तामील कर सकेगा जिसमें सूचना की तामील की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर उससे ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी और ऐसा व्यक्ति विहित समय के भीतर ऐसी विवरणी प्रस्तुत करेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और 1 अप्रैल 2005 को या उसके पश्चात किए गए वित्तीय संव्यवहारों को लागू करेगा।

नई प्रस्तावित धारा 285खक की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार विवरणी प्रस्तुत न करने पर शास्ति का उपबंध करने के लिए नई धारा 85खक अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि कोई व्यक्ति जिससे 1 अप्रैल, 2004 को आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष को या उसके पश्चात वार्षिक सूचना विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, उपधारा के अधीन विहित समय के भीतर ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो, उक्त उपधारा के अधीन विहित आय-कर प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के माध्यम से प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक सौ रुपए का संदाय करेगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा।

[खंड 52 और 58]

सामाजिक-आर्थिक वृद्धि का संवर्धन करने के लिए उपाय

अतिरिक्त अवक्षयण के प्रयोजनों के लिए प्रतिष्ठापित क्षमता में बढ़ोतरी की सीमा में कमी

वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (ii)क) द्वारा प्रस्तावित विद्यमान उपबंधों के अधीन 1-4-2002 को या उसके पश्चात अर्जित और प्रतिष्ठित नए संयंत्र और मशीनरी पर 15 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त अवक्षयण अनुज्ञेय है। यह अवक्षयण निम्नलिखित को उपलब्ध है:-

- किसी नए औद्योगिक उपक्रम को, उस पूर्व वर्ष में, जिसमें यह विनिर्माण या उत्पादन आरंभ करता है,
- किसी विद्यमान उपक्रम को, उस पूर्व वर्ष में, जिसमें यह अपनी प्रतिष्ठापित क्षमता में 25% वृद्धि प्राप्त करता है,

'प्रतिष्ठापित क्षमता' को इस प्रकार परिभाषित किया गया है जिससे इससे 31 मार्च, 2002 को यथा विद्यमान उत्पादन क्षमता अभिप्रेत है।

विनिर्माण क्षेत्र में विकास का संवर्धन करने के लिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि प्रतिष्ठापन क्षमता में 25% वृद्धि की अपेक्षा को घटाकर 10% किया जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 8]

कृषि प्रसंस्करण उद्योग के लिए कर से छूट

धारा 80-झख के विद्यमान उपबंधों के अधीन, खनिज तेल के परिष्करण और उत्पादन में लगे उपक्रमों, आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण में तथा खाद्यान्नों, आदि के हथालन, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारबार में लगे उपक्रमों के लाभों और अभिलाभों के संबंध में कटौती उपलब्ध है।

देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग नियोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसलिए, विधेयक फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, परिष्करण और पैकेजिंग के कारबार में लगे उपक्रमों द्वारा व्युत्पन्न लाभों से पांच वर्ष के लिए सौ प्रतिशत और अगले पांच वर्ष के लिए पच्चीस प्रतिशत (किसी कंपनी की दशा में तीस प्रतिशत) कटौती का उपबंध करने का प्रस्ताव करता है। यह कटौती ऐसे पूर्व वर्ष से, जिसमें उपक्रम ऐसा कारबार आरंभ करता है, सुसंगत पूर्व वर्ष से उपलब्ध है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2005-2006 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 17]

विद्युत सेक्टर में पारेषण और वितरण लाइनों के नवीकरण और आधुनिकीकरण के मामले में धारा 80-इक के अधीन कर फायदे का विस्तार

धारा 80-इक के की उपधारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन विद्युत के उत्पादन, उत्पादन और वितरण या पारेषण या वितरण में लगे हुए किसी ऐसे उपक्रम या उद्यम को, जो 1.4.2006 से पूर्व ऐसा उत्पादन या पारेषण आरंभ करता है, पंद्रह निर्धारण वर्षों में से किन्हीं दस वर्षों के लिए लाभों की सौ प्रतिशत कटौती अनुज्ञात की जाती है। तथापि, यह कटौती केवल नए उपक्रम को ही उपलब्ध है, न कि पहले से विद्यमान किसी कारबार की पुनः संरचना या विभाजन के द्वारा बने किसी उपक्रम को। इसके अतिरिक्त, किसी पुराने संयंत्र और मशीनरी को नए कारबार में अंतरित करने के मामले में कटौती उपलब्ध नहीं है।

इस धारा के उपबंधों को सुव्यवस्थित करने के लिए यह प्रस्ताव है कि पुराने संयंत्र तथा कारबार के की मशीनरी और पुनः संरचना के इन निबर्धनों को दूरसंचार सेक्टर को भी लागू किया जाए।

पारेषण और वितरण नेटवर्क के नवीकरण और आधुनिकीकरण में विनिधान को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्ताव किया जाता है कि धारा के अधीन कर फायदे को किसी ऐसे उपक्रम पर विस्तारित किया जाए जो विद्यमान पारेषण या वितरण प्रणालियों का सारभूत नवीकरण और आधुनिकीकरण करता है। ऐसे मामलों में लाभों की शत प्रतिशत कटौती, उस वर्ष से आरंभ होने वाले दस निर्धारण वर्षों के लिए जिसमें ऐसा नवीकरण और आधुनिकीकरण किया जाता है, अनुज्ञात की जाएगी। "सारभूत नवीकरण और आधुनिकीकरण" को इस प्रकार परिभाषित करने का प्रस्ताव है जिससे संयंत्र मशीनरी का पचास प्रतिशत बही मूल्य अभिप्रेत हो।

इसके अतिरिक्त, राज्य विद्युत बोर्डों में चल रहे सुधारों को देखते हुए, यह उपबंध करने का प्रस्ताव किया गया है कि पुराने संयंत्र और मशीनरी के अंतरण और किसी पुराने कारबार के विभाजन पर अधिरोपित निबर्धन, राज्य विद्युत बोर्डों के विभाजन या पुनःसंरचना, या पुनः संगठनों के मामलों में लागू नहीं होगा।

तथापि, धारा के उपबंधों के सुव्यवस्थीकरण के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि पुराने संयंत्र और मशीनरी के अंतरण और कारबार की पुनः संरचना की शर्त को दूरसंचार क्षेत्र को लागू किया जाए।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2005-2006 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 16]

धारा 80-इक के अधीन कर-छूट के प्रयोजन के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए समय सीमा का विस्तार

धारा 80-इक की उपधारा (4) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन शीतागार संयंत्र के विनिर्माण या उत्पादन या प्रचालन में लगे ऐसे कोई औद्योगिक उपक्रम जिन्हें 1-4-1993 से 31-3-2004 की अवधि के दौरान जम्मू कश्मीर राज्य सहित अनुसूची 8 में यथा सूचीबद्ध औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थापित किया गया है, 5 वर्ष की अवधि के लिए लाभों में सौ प्रतिशत कटौती और उससे अगले 5 वर्ष के लिए 25% (कंपनी की दशा में 30%) कटौती के लिए पात्र होंगे। यह कटौती 31-3-2004 के पश्चात स्थापित उद्योगों के लिए उपलब्ध नहीं है।

समाप्ति की तारीख को एक और वर्ष तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। तेरहवीं अनुसूची में राज्यों के लिए एक नकारात्मक सूची का भी प्रस्ताव किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2005-2006 और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए लागू होंगे।

[खंड 17]

धारा 80-इक के अधीन कर-छूट के प्रयोजन के लिए आवास परियोजनाओं का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए तथा विद्यमान भवनों के पुनःविकास या पुनःसंनिर्माण के लिए कटौती अनुज्ञात करने के लिए समय सीमा का विस्तार

धारा 80इक की उपधारा (10) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, आवासन परियोजनाओं के विकास और निर्माण में लगे किसी उपक्रम के लाभ की सौ प्रतिशत कटौती अनुज्ञात की जाती है, यदि आवासन परियोजना स्थानीय प्राधिकारी द्वारा 31 मार्च, 2005 के पूर्व अनुमोदित की जाती है। यह कटौती इन शर्तों के अधीन है कि उपक्रम ने आवासन परियोजना का विकास 1 अक्टूबर, 1988 के पश्चात आरंभ किया हो, परियोजना भूमि के ऐसे आकार वाले प्लॉट पर होनी चाहिए, जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड़ हो और यह कि निवास इकाई का अधिकतम निर्मित क्षेत्र एक हजार वर्ग फुट, जहां ऐसी निवास इकाइयां दिल्ली या मुंबई शहरों के भीतर हैं और किसी अन्य स्थान पर पंद्रह सौ वर्गफुट होना चाहिए।

विद्यमान उपधारा को प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, जिससे कि उपबंधों को सुव्यवस्थित किया जा सके और अतिरिक्त प्रोत्साहनों का उपबंध किया जा सके। अधिक आवासन परियोजनाओं को इस उपबंध के अधीन कर छूट का फायदा अनुज्ञात करने की दृष्टि से स्थानीय प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने की समय-सीमा को 31 मार्च, 2007 तक विस्तारित किए जाने का प्रस्ताव है। तथापि, यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति जिसमें आवासन परियोजना स्थानीय अधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाती है, आवासन परियोजना के पूरा किये जाने के लिए चार वर्ष की समय सीमा का उपबंध किया जाए। यह प्रस्ताव किया जाता है कि अनुमोदन की तारीख वह तारीख मानी जाए, जिसको भवन योजना पहली बार स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाती है और आवासन परियोजना के पूरा होने की तारीख वह तारीख मानी जाए, जिसको ऐसे प्राधिकारी द्वारा समापन प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।

यह उपबंध और करने का प्रस्ताव किया जाता है कि आवासन परियोजना में सम्मिलित की गई दुकानों और अन्य वाणिज्यिक स्थापनों का अधिकतम निर्मित क्षेत्रफल आवासन परियोजना के कुल निर्मित क्षेत्रफल के पांच प्रतिशत या 2000 वर्ग फुट, इनमें जो भी कम हो, से अधिक होगा।

झुग्गी-झोपडियों के पुनःविकास को प्रोत्साहन देने के विचार से ऐसी आवासन परियोजनाओं की दशा में, जिनपर विद्यमान भवनों की पुनःसंरचना या पुनःविकास के लिए केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा विरचित ऐसी स्कीम के, जो इस निमित्त बनाए गए बोर्ड द्वारा अधिसूचित की गई है, अनुसार कार्य किया जा रहा है, एक एकड़ के न्यूनतम प्लॉट आकार की शर्तों को शिथिल करने का प्रस्ताव है।

"निर्मित क्षेत्र" को इस प्रकार परिभाषित किए जाने का प्रस्ताव है, जिससे कि इससे किसी निवासी इकाई का भूमि की सतह पर ऐसा आंतरिक मापमान अभिप्रेत हो जिसके अंतर्गत दीवारों की मोटाई द्वारा बढ़ाए गए निकले भाग और बालकनी भी हैं किंतु ऐसा सामान्य क्षेत्र नहीं है, जिसमें अन्य निवास इकाइयां भागीदार हैं।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 17]

वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास कार्य कर रही किसी कम्पनी को धारा 80इअ के अधीन कर छूट के प्रयोजन के लिए समय-सीमा का विस्तार

धारा 80इअ की उपधारा (8क) के विद्यमान उपबंध के अधीन, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विकास कार्य करने वाली कम्पनी को, यदि ऐसी कम्पनी को 31 मार्च, 2000 के पश्चात किन्तु 1 अप्रैल, 2004 के पूर्व विहित प्राधिकारी द्वारा तत्समय अनुमोदित कर दिया जाता है, 10 क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए ऐसे कारबार के लाभों और अभिलाभों के 100% की कटौती अनुज्ञात है। इस प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी भारत सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विकास विभाग का सचिव है।

देश में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास कार्य कर रही ऐसी कम्पनियों को, जिन्हें 1 अप्रैल, 2005 से पूर्व विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है, कटौती अनुज्ञात करने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 17]

धारा 80इअ के अधीन कर-छूट के प्रयोजन के लिए दूरसंचार सेवाएं, आदि उपलब्ध कराने के लिए समय सीमा का विस्तार

धारा 80इअ की उपधारा (4) के खंड (ii) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन ऐसे किसी उपक्रम को, जिसने 31 मार्च, 2004 से पूर्व दूर संचार सेवाएं, चाहे वे आधारीक हों अथवा सेलुलर हों, जिनके अंतर्गत रेडियो पेजिंग, घरेलू उपग्रह सेवा, ट्रकिंग का नेटवर्क, ब्रांडबैंड नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं भी हैं, उपलब्ध कराना आरंभ किया है, उस वर्ष से, जिसमें वह दूर संचार सेवाएं उपलब्ध कराना प्रारंभ करता है, आरंभ होने वाले दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए कटौती अनुज्ञात की जाती है। कटौती की रकम प्रथम पांच वर्ष के लिए लाभ का सौ प्रतिशत है और तत्पश्चात अगले पांच वर्ष के लिए लाभ का तीस प्रतिशत है।

समाप्ति की तारीख इस कर फायदे के प्रयोजनों के लिए नए उपक्रमों की स्थापना तथा सेवाओं के प्रारंभ के लिए एक वर्ष तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2005-06 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 16]

राजस्व हानियों को रोकने के लिए उपाय

संविदाओं के विभाजन को समाप्त करने के लिए उपबंध

धारा 194ग की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करते हैं कि कोई कर, किसी ऐसी संविदा के अनुसरण में, जिसके लिए प्रतिफल बीस हजार रुपए से अधिक नहीं होता है, जमा की गई या संदत्त किसी राशि से उसकी उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कर की कोई कटौती अपेक्षित नहीं है।

यह देखा गया है कि स्रोत पर कर कटौती के उपबंधों से बचने के लिए संयुक्त संविदाओं को 20,000 से कम मूल्य की संविदाओं में विभाजित किया जाता है। इस व्यवहार को रोकने के लिए यह उपबंध-करने का प्रस्ताव किया जाता है कि जहां किसी ठेकेदार या उपठेकेदार के खाते में जमा की गई या उसे संदत्त की गई राशि एकल संदाय में 20,000 रुपए से या किसी वित्तीय वर्ष के दौरान उसका योग 50,000 रुपए से अधिक हो जाती है वहां स्रोत पर कर कटौती किया जाना अपेक्षित होगा।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी होगा।

[खंड 34]

वेतन से आय के प्रति कारबार हानि का मुजरा न किया जाना

धारा 71 की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, चालू वर्ष में आय के किसी एक शीर्ष के अधीन संगणित हानि का किसी अन्य शीर्ष के अधीन संगणित आय के प्रति मुजरा किया जाना अनुज्ञात है। तथापि "पूजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन हानि का किसी अन्य शीर्ष के अधीन आय के प्रति मुजरा किया जाना अनुज्ञात नहीं है।

हानियों के मुजरे के उपबंधों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, धारा 71 का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि कोई निर्धारित "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ शीर्ष" के अधीन किसी हानि का "वेतन" शीर्ष के अधीन से आय के प्रति मुजरा लेने का हकदार नहीं होगा।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा, और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2005-06 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 13]

स्रोत पर कर कटौती के उपबंधों के अनुपालन को प्रवर्तित करना

धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (i) के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी अनिवासी या विदेशी कंपनी को ब्याज, स्वामिस्व, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस या ऐसे किसी अन्य राशि के जो भारत से बाहर या भारत में संदेय है, संदाय से स्रोत पर कर की कटौती करने में असफल रहने पर या केन्द्रीय सरकार के खाते में संदाय करने में असफल रहने पर संदायकर्ता के हाथों ऐसे संदायों से इंकार करना होगा। तथापि, ऐसी राशि की कटौती आयकर की संगणना में तब अनुज्ञात की जाती है जब कर कटौती की जाती या कटौती के पश्चात उस वर्ष की आय संगणित करने में किसी पश्चातवर्ती वर्ष में संदत्त की जाती है।

स्रोत पर कर कटौती के उपबंधों के अनुपालन में वृद्धि करने की दृष्टि से यह प्रस्ताव है कि ब्याज और कमीशन या दलाली, वृत्तिका सेवाओं के लिए फीस या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के संदायों के लिए धारा 40क(i) के उपबंधों का किसी काम को करने के लिए (जिसके अंतर्गत किसी काम को करने के लिए श्रम का प्रदाय भी है) ठेकेदार या उपठेकेदार को संदायों पर जो किसी निवासी को संदेय है, जिस पर कर की कटौती नहीं की गई है या कटौती के पश्चात उसे धारा 200 की उपधारा (1) के अधीन और अध्याय 17ख के अन्य उपबंधों के अनुसार विहित समय की समाप्ति से पूर्व संदत्त नहीं किया गया है, विस्तार किया जाए। यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि जहां ऐसी किसी राशि के संबंध में कर की कटौती अध्याय 17ख के अधीन की गई है या किसी पश्चातवर्ती वर्ष में उसका संदाय किया गया है, वहां ऐसी राशि के संदाय को, उस पूर्व वर्ष की, जिसमें ऐसा कर संदत्त किया गया है, आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा, और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2005-06 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 11]

प्रतिफल के लिए से अन्यथा नकद या जमा के रूप में प्राप्तियों को सम्मिलित करने के लिए आय की परिभाषा का उपांतरण

आय की परिभाषा में एक नए उपखंड को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि किसी व्यक्ति या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा माल या सेवाओं के प्रतिफल से अन्यथा, किसी व्यक्ति से 1 सितंबर, 2004 को या उसके पश्चात नकद या जमा के रूप में प्राप्त की गई किसी राशि को आयकर अधिनियम की धारा 2(24) के अधीन आयकर की परिभाषा के भीतर सम्मिलित किया जाएगा। यह भी प्रस्ताव है कि पच्चीस हजार रुपए की साधारण प्रारंभिक सीमा का उपबंध किया जाए। इसके अतिरिक्त, व्यक्ति के विवाह की दशा में, प्राप्त उपहार कर से प्रभारित नहीं होंगे।

तथापि, वास्तविक मामलों में, कठिनाइयों को दूर करने के लिए कतिपय राशियों को धारा 2(24) के अधीन आय की नई परिभाषा की परिधि से बाहर रखे जाने का भी प्रस्ताव है। वे राशियां जो आय में सम्मिलित नहीं होंगी वे: (क) नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण किसी नातेदार से किसी व्यक्ति को, या दान के रूप में किसी व्यक्ति को उसके विवाह के अवसर पर, जो एक लाख रुपए से अधिक न हो, या किसी वसीयत के आधार या विरासत के रूप में किसी व्यक्ति या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब को या किसी नियोजक से किसी कर्मचारी या मृत कर्मचारी के आश्रितों द्वारा बोनस, उपदान या पेंशन या बीमा के रूप में या कर्मचारी द्वारा दी गई सेवाओं की मान्यता के रूप में प्राप्त की गई कोई अन्य राशि, या (ख) किसी व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभक्त कुटुंब के कर्ता या सदस्य की मृत्यु को आसन्न मानकर प्राप्त कोई राशि, या (ग) आयकर अधिनियम की धारा 10 में निर्दिष्ट कोई आय या कोई अन्य आय जो आयकर अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त है या वह आय जो अधिनियम के अधीन कुल आय के अंतर्गत नहीं आती है, या (घ) इस अधिनियम की धारा 47 में निर्दिष्ट अंतरणों के कारण प्राप्त कोई राशि, होगी।

यह भी प्रस्ताव है कि नए उपबंध के प्रयोजनों के लिए "नातेदार" पद को (i) व्यक्ति के पति/पत्नी, (ii) व्यक्ति के भाई या बहन, (iii) व्यक्ति के पति/पत्नी के भाई या बहन, (iv) व्यक्ति के माता/पिता के भाई या बहन, (v) व्यक्ति के किसी पारंपरिक पूर्वपुरुष या वंशज, (vi) व्यक्ति के पति/पत्नी के किसी पारंपरिक पूर्वपुरुष या वंशज, और (vii) ऊपर उल्लिखित (ii) से (vi) में निर्दिष्ट व्यक्ति के पति/पत्नी के रूप में परिभाषित किया जाए।

धारा 56 का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि नई धारा 2(24) के नए उपखंड (xiii) में निर्दिष्ट आय "अन्य स्रोतों से आय" के रूप में प्रभावी होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा, और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2005-06 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 3, 5 और 12]

लेखा बहियों या दस्तावेजों, आदि के मिथ्याकरण के लिए अभियोजन

आयकर अधिनियम की धारा 278 यह उपबंध करती है कि ऐसे किसी व्यक्ति को, जो किसी अन्य व्यक्ति को कर अपवंचन के लिए दुष्प्रेरित या उत्प्रेरित करता है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कर अपवंचन से जोड़ा गया है और पहले व्यक्ति के मामले में दुष्प्रेरण का आरोप केवल तभी सिद्ध हो सकता है यदि दूसरे व्यक्ति द्वारा अपवंचन साबित हो जाता है। अन्य व्यक्ति को कर शास्ति या ब्याज का अपवंचन करने के लिए समर्थ बनाने के आशय से मिथ्या बहियां या दस्तावेज तैयार करने

के विरुद्ध निवारण का, आयकर अधिनियम के अधीन ऐसी बहियों या दस्तावेजों को तैयार करने को एक अपराध के रूप में घोषित करके प्रभावी रूप से उपबंध किया जा सकता है।

अतः, इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य या अधिरोपणीय किसी कर, शास्ति या ब्याज के अपवंचन के लिए किसी अन्य व्यक्ति को उत्प्रेरित या दुष्प्रेरित करने के लिए लेखा बहियों या दस्तावेज आदि के मिथ्याकरण के लिए जुर्माने सहित ऐसे कठोर कारावास के दंड का उपबंध करने के लिए जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, एक नई धारा 277क को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है। प्रस्तावित धारा का स्पष्टीकरण यह स्पष्ट करता है कि किसी आरोप में, किसी विशिष्ट उदाहरण या कर की राशि, शास्ति या उस आशय को, जो ऐसे व्यक्ति का रहा है या रहा होता, विनिर्दिष्ट किए बिना ऐसे अन्य व्यक्ति को किसी कर, शास्ति या ब्याज के अपवंचन में समर्थ बनाने वाले सामान्य आशय को अभिकथित करना पर्याप्त होगा।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी होगा।

[खंड 56]

गिरते हुए लाभांश और बोनस के माध्यम से हानियों के सृजन को नियंत्रित करने के उपाय

धारा 94 की उपधारा (7) के विद्यमान उपबंध में यह उपबंध है कि जहां कोई व्यक्ति किसी ऐसी यूनिट या शेयर की बाबत लाभांश या आय की घोषणा के लिए नियत रिकार्ड तारीख से पूर्व तीन मास की अवधि के भीतर प्रतिभूति या यूनिट का क्रय करता है या उसका अर्जन करता है, और ऐसी रिकार्ड तारीख के पश्चात तीन मास की अवधि के भीतर उनका विक्रय या अंतरण कर देता है और इस प्रकार प्राप्त किया गया या प्राप्य लाभांश या आय छूट प्राप्त है तो ऐसे क्रय या विक्रय से उद्भूत होने वाली हानि को, यदि कोई हो, उस सीमा तक हिसाब में नहीं लिया जाएगा, जिस तक ऐसी हानि ऐसे व्यक्ति की कर से प्रभार्य आय की संगणना पर ऐसी आय या लाभांश की रकम से अधिक नहीं है।

यह देखा गया है कि रिकार्ड तारीख के पश्चात कम से कम नब्बे दिन के लिए यूनिट धारित करने के लिए किसी विनिधानकर्ता से अपेक्षा करने वाली धारा 94 की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट शर्त वांछित आशय का उपबंध नहीं कर सकी। कर परिवर्जन के लिए निवारण का उपबंध करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि रिकार्ड तारीख के पश्चात यूनिट धारण करने के लिए दीर्घतर अवधि का उपबंध किया जाए।

तदनुसार, यह भी प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा का संशोधन किया जाए जिससे यह उपबंध हो सके कि रिकार्ड तारीख से पूर्व तीन मास की अवधि के भीतर जहां कोई व्यक्ति किसी यूनिट को खरीदता है या अर्जित करता है और ऐसी रिकार्ड तारीख के पश्चात नौ मास की अवधि के भीतर उसका विक्रय करता है या उसका अंतरण करता है और इस प्रकार प्राप्त या प्राप्य लाभांश या आय छूट प्राप्त होती है, तब ऐसे विक्रय और क्रय से उद्भूत होने वाली हानि, यदि कोई है, उस सीमा तक हिसाब में नहीं ली जाएगी जिस तक ऐसी हानि की रकम कर से प्रभार्य आय की संगणना करने पर अधिक नहीं होती है।

बोनस में गिरावट के व्यवहार को रोकने के लिए यह प्रस्ताव है कि जहां बोनस जारी कर दिया गया है वहां मूल यूनिटों के विक्रय पर हुई हानि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा और ऐसी हानि की ऐसी रकम को तब मूल लागत के रूप में समझा जाएगा जब बोनस यूनिटों का विक्रय कर दिया जाता है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-06 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 23]

सुव्यवस्थीकरण और सरलीकरण उपाय

विनिर्दिष्ट कंपनी और पारस्परिक निधि द्वारा वितरित आय पर अतिरिक्त आयकर

धारा 115द की उपधारा (2) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, विनिर्दिष्ट कंपनी या पारस्परिक निधि द्वारा अपने यूनिट धारकों को वितरित आय की कोई रकम कर से प्रभार्य होगी और वे साढ़े बारह प्रतिशत की दर पर ऐसी वितरित आय पर अतिरिक्त आयकर का संदाय करने के दायी हैं।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि विनिर्दिष्ट कंपनी या पारस्परिक निधि साढ़े बारह प्रतिशत की दर पर ऐसी वितरित आय पर आयकर का संदाय करती रहेगी, यदि वितरण व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब को किया जाता है। तथापि, कर की दर, व्यष्टिक या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब से भिन्न किसी व्यक्ति को यदि वितरित की जाती है, तो बीस प्रतिशत होगी।

यह संशोधन 9 जुलाई, 2004 से प्रभावी होगा।

[खंड 27]

यूरोपीय विनिधान बैंक के लिए छूट

विद्यमान उपबंधों के अधीन, यूरोपीय विनिधान बैंक को, उसके द्वारा प्रदान किए गए ऋणों पर, संदेय ब्याज कराधेय है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा यूरोपीय विनिधान बैंक के साथ किए गए वित्तीय सहयोग के लिए आधारभूत करार के अनुसरण में उक्त बैंक द्वारा दी गई उधारों पर संदेय ब्याज को छूट देने के संप्रभु करार के अधीन की गई प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए एक नया खंड अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2005-2006 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 5]

राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदन या अधिसूचना का वापस लिया जाना

धारा 35कग के विद्यमान उपबंधों के अधीन, राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकरण या किसी संगम या संस्था को किसी राशि के संदाय द्वारा पूर्ववर्ष के दौरान उपगत खर्च की राशि की कटौती किसी पात्र परियोजना या स्कीम के कार्यान्वयन के लिए अनुज्ञात है। उक्त धारा की उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि जहां राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाता है कि परियोजना या स्कीम का क्रियान्वयन किसी भी शर्त के अनुसार नहीं किया जा रहा है तो वह संगम या संस्था को पहले प्रदत्त अनुमोदन को वापस ले सकेगी। उसी प्रकार उपधारा-5 परियोजना या स्कीम की अधिसूचना वापस लेने का उपबंध करता है यदि यह उन सभी या किसी शर्तों के अनुसार क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है जिसके आधार पर ऐसी परियोजना या स्कीम अधिसूचित की गई थी।

सरकार की सूचना में ऐसे कतिपय मामले आए हैं जहां अनुमोदित परियोजनाओं या अधिसूचित स्कीमों को क्रियान्वित नहीं किया गया है या आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। कुछ मामलों में इकट्ठे किये गये संदानों को पात्र परियोजनाओं के लिए उपयोग नहीं किया गया है और कुछ मामलों में कार्यान्वयन में सकल अनियमितताएं बरती गई हैं।

विद्यमान उपधारा (4) और (5) को यह उपबंध करने के लिए प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदन वापस लिए जाने के लिए एक प्रभावी तंत्र बनाया जा सके। यह उपबंध करने का प्रस्ताव किया जाता है कि जहां ऐसा कोई संगम या संस्था, जिसे अनुमोदन प्रदत्त किया गया है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात राष्ट्रीय समिति को ऐसे प्रारूप में और ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो राष्ट्रीय समिति, किसी भी समय, कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात अनुमोदन वापस ले सकेगी। यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव किया जाता है कि अनुमोदन वापस लेने के आदेश की एक प्रति संबंधित संगम या संस्था पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी होंगे।

[खंड 10]

स्रोत पर कटौती और स्रोत पर संग्रहीत कर प्रमाणपत्रों को समाप्त किया जाना

आयकर अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन, धारा 139 के अधीन फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित आय की विवरणियां कर कटौती या संग्रहीत कर के प्रत्यय का दावा करने के लिए स्रोत पर कर कटौती या स्रोत पर संग्रहीत कर प्रमाणपत्रों के साथ संग्रहण की जानी है। स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर संग्रहीत कर के कृत्यों का कम्प्यूटरीकरण पारिणामिक रूप से इस अपेक्षा से अभिमुक्त होगा और इन्टरनेट के माध्यम से विवरणियां फाइल करने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। वित्त विधेयक के कम्प्यूटरीकरण की ऊपरी प्रक्रिया का सुकर बनाने के लिए अपेक्षित आवश्यक विधायी संशोधन समाविष्ट है। विधेयक निम्नलिखित का उपबंध करने का प्रस्ताव है—

- (i) कटौती किए गए या संग्रहीत किए गए कर के लिए प्रत्यय कोई प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए बिना निर्धारिती को दिया जाएगा;
- (ii) विवरणियां इसलिए त्रुटिपूर्ण नहीं समझी जाएगी कि उनके साथ ऐसे प्रमाणपत्र संलग्न नहीं हैं;
- (iii) कर कटौती करने वाला या कर संग्रहीत करने वाला किसी व्यक्ति से विहित आयकर प्राधिकारी को त्रैमासिक विवरणियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी;
- (iv) सभी निर्धारिती जिसमें अनिवासी से स्थायी लेखा संख्याक की सूचना कर कटौती करने वाले या संग्रहण करने वाले व्यक्ति को देने की अपेक्षा की जाएगी जैसा अन्यथा स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर कर संग्रहण के लिए प्रत्यय दिया जा सकता है; और
- (v) यदि त्रैमासिक विवरणियां समय पर प्रस्तुत नहीं की जाती हैं तो शास्ति उद्गृहीत की जाएगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होंगे।

[खंड 29, 30, 38, 39, 41, 43, 47, 53, 54]

स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर कर संग्रहण प्रमाणपत्र के लिए एक ही संख्या

धारा 203क के विद्यमान उपबंधों के अधीन, अध्याय 17ख के उपबंधों के कर की कटौती के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति से कर कटौती लेखा संख्याक के आंबटन के लिए निर्धारण अधिकारी को आवेदन करने की अपेक्षा की जाती है यदि उसे ऐसा संख्याक आंबटित नहीं किया गया है। उसी प्रकार, धारा 206गक के उपबंधों के अधीन करसंग्रहण के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति से कर संग्रहण लेखा संख्याक के आबाअन के लिए निर्धारण अधिकारी को आवेदन करने की अपेक्षा की जाती है। दोनों धाराओं के उपबंधों का अनुपालन न करने के लिए शास्ति का उपबंध है।

सरलीकरण और सुव्यवस्थीकरण के उपाय के रूप में पृथक कर संग्रहण खाता संख्या की अपेक्षा को समाप्त करने का प्रस्ताव है और यह भी प्रस्ताव है कि ऐसे व्यक्तियों जिनसे स्रोत पर कर का संग्रहण करना अपेक्षित है, को धारा 203क के अधीन कर कटौती खाता संख्या (टीएएन) अभिप्राप्त कर लेना चाहिए।

धारा 272खखख का भी संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे इसे 1 अक्टूबर, 2004 के पश्चात अप्रचलित बनाया जा सके क्योंकि धारा 272खखख धारा 203क के अनुबंधों का अनुपालन करने में असफल रहने पर शास्ति उद्गृहीत करने का उपबंध करती है।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी होगा।

[खंड 42, 48 और 55]

कम्प्यूटर मीडिया में स्रोत पर कटौती कर की विवरणियों और स्रोत पर संग्रहीत कर की विवरणियों का फाइल किया जाना सरकारी कटौतीकर्ताओं के लिए आज्ञापक बनाया गया

धारा 206 के विद्यमान उपबंध राजपत्र की अधिसूचना द्वारा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट स्कीम के अनुसार विहित समय पर या उससे पूर्व कम्प्यूटर पठनीय मीडिया में प्रत्येक कम्पनी की दशा में प्रधान अधिकारी द्वारा स्रोत पर कर कटौती की विवरणियां फाइल करने के लिए उपबंध करते हैं।

स्रोत पर कर कटौती कृत्य के कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए, स्रोत पर कर कटौती विवरणियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करने की स्कीम को सभी कटौतीकर्ताओं को लागू किए जाने की आवश्यकता है। कंपनियों की दशा में, स्रोत पर कर कटौती की विवरणियों को कम्प्यूटर मीडिया पर फाइल किया जाना अनिवार्य बनाया गया था। इसे सरकारी कटौतीकर्ता की दशा में भी अनिवार्य बनाए जाने का प्रस्ताव किया जाता है।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि जहां कर संग्रहण करने वाले व्यक्ति कंपनियां या सरकार हैं, वहां इस प्रकार फाइल किए जाने को स्रोत पर कर संग्रहण के मामलों में भी अनिवार्य किया जाए।

ये संशोधन 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी होंगे।

[खंड 46 और खंड 47]

स्रोत पर कर कटौती के पत्रों का फाइल किया जाना

धारा 206 की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों के अधीन प्रत्येक सरकारी कार्यालय के मामले में विहित व्यक्ति, प्रत्येक कम्पनी की दशा में प्रधान अधिकारी, हर स्थानीय प्राधिकारी या अन्य लोक निकाय या संगम की दशा में विहित व्यक्ति, हर प्राइवेट नियोजक और हर ऐसे अन्य व्यक्ति से, जो कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी है, हर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात विहित समय के भीतर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से सत्यापित करवाकर और ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, ऐसी विवरणियां तैयार करना और उन्हें ऐसे आयकर अधिकारी को परिदत्त करना या करवाना अपेक्षित है।

धारा 206 की उपधारा (1) में यह उपबंध करने के लिए संशोधन का प्रस्ताव किया जाता है जिससे कि केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड द्वारा इस संबंध में विरचित स्कीम के अनुसार बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकरण या अभिकरण में स्रोत पर कर कटौती की विवरणी फाइल की जा सके।

ये संशोधन 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी होंगे।

[खंड 46]

स्रोत पर कर संग्रहण के पत्रों का फाइल किया जाना

धारा 286ग की उपधारा (5क) के विद्यमान उपबंधों के अधीन प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, 30 सितम्बर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए स्रोत पर कर संग्रहण की अर्धवार्षिक विवरणी फाइल करने की अपेक्षा की जाती है।

स्रोत पर कर संग्रहण की वार्षिक विवरणी विहित समय के भीतर फाइल करने के लिए उपबंध करने का प्रस्ताव किया जाता है। इस संशोधन से स्रोत पर कर संग्रहण की अर्द्धवार्षिक विवरणी फाइल करने की मांग दूर हो जाएगी।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि स्रोत पर कर संग्रहण की विवरणियों का कम्प्यूटरीकरण करने में समर्थ बनाने के लिए किसी प्राधिकरण या अभिकरण में स्रोत पर कर कटौती की विवरणियां फाइल करने के लिए प्रस्तावित लाइन पर कोई स्कीम विहित की जा सके।

ये संशोधन 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी होंगे।

[खंड 47]

अवसंरचना पूंजी कम्पनी की आय को न्यूनतम विकल्प कर के लिए दायी बनाया जाना

धारा 10 के खंड (23छ) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन धारा 115-ग में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न लाभांशों के रूप में कोई आय किसी अवसंरचना पूंजी निधि या किसी अवसंरचना पूंजी कंपनी या किसी सहकारी बैंक के किसी अवसंरचना पूंजी परियोजना या होटल या अस्पताल परियोजना में लगे हुए किसी उपक्रम में किए गए विनिधानों से प्राप्त हुए ब्याज या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ कुल आय में सम्मिलित नहीं हैं।

उपबंध को सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से, एक परंतुक अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी अवसंरचना पूंजी कम्पनी की दशा में ऊपर उल्लिखित आय धारा 115डख के प्रयोजन के लिए और उस धारा के अधीन कर के संदाय के लिए बहीलाभ संगणित करने हेतु हिसाब में ली जाएगी।

धारा 115डख में परिणामिक संशोधन करने का और प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-06 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 5 और 26]

प्राधिकारी द्वारा किसी आवेदन को नामंजूर करने या कोई अग्रिम विनिर्णय सुनाने में लगने वाले समय को निर्धारण करने के लिए परिसीमा की अवधि में शामिल न करने के लिए उपबंध करना

धारा 245थ और धारा 245द में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन की प्राप्ति पर उसे आयुक्त को अग्रेषित करेगा और यदि आवश्यक हुआ तो सुसंगत अभिलेखों की मांग करेगा। आवेदन और अभिलेखों की जांच करने के पश्चात् उक्त प्राधिकारी आवेदन को या तो नामंजूर कर सकेगा या आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रश्न पर अग्रिम विनिर्णय सुनाएगा। धारा 245दद के विद्यमान उपबंध ये उपबंध करते हैं कि कोई आय-कर प्राधिकारी या अपील अधिकरण किसी ऐसे विवादक का विनिश्चय नहीं करेगा जिसकी बाबत किसी निवासी द्वारा अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी को आवेदन किया गया है।

धारा 153 के स्पष्टीकरण 1 में नए खंड (vi) और (vii) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस तारीख से जिसको अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी के समक्ष कोई आवेदन किया जाता है प्रारंभ होने वाली और यथास्थिति, उस तारीख को जिसको आवेदन को नामंजूर करने वाला आदेश या उस तारीख को जिसको उसके द्वारा घोषित अग्रिम विनिर्णय आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली कालावधि को इस धारा के अधीन परिसीमा की अवधि की संगणना करने में अपवर्जित किया जाएगा।

धारा 153ख के स्पष्टीकरण में नए खंड (v) और (vi) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस तारीख से, जिसको अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी के समक्ष कोई आवेदन किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और यथास्थिति, उस तारीख को, जिसको आवेदन को नामंजूर करने वाला आदेश या उस तारीख को, जिसको उसके द्वारा घोषित अग्रिम विनिर्णय आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली कालावधि को इस धारा के अधीन परिसीमा की अवधि की संगणना करने में अपवर्जित किया जाएगा।

प्रस्तावित संशोधन 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी होंगे।

[खंड 32 और 33]

मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में प्रविष्ट प्रतिभूतियों से उद्भूत पूंजी अभिलाभ पर संव्यवहार कर का उद्ग्रहण और छूट/रियायत

आय-कर अधिनियम में विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी निवेशक को प्रतिभूतियों के अंतरण से उद्भूत होने वाले लाभ या अभिलाभ उक्त प्रतिभूतियों को धारण करने की अवधि के आधार पर दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ या लघु अवधि पूंजी अभिलाभ के रूप में कर से प्रभार्य हैं। प्रतिभूतियों के अंतरण से उद्भूत लघु अवधि पूंजी अभिलाभ लागू दर पर कराधेय हैं। दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभों पर अर्जन की लागत की अनुक्रमणिका बनाने के पश्चात् मुद्रा स्फीति का समायोजन करने पर 20 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है। सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लिए करदाता के पास दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभों पर 10 प्रतिशत की दर से बिना अनुक्रमणिका बनाए कर का संदाय करने का विकल्प है। विदेशी संस्थागत निवेशकों (वि.सं.नि.) के लिए दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभों और लघु अवधि पूंजी अभिलाभों पर क्रमशः 10% की दर से (वित्त अनुक्रमणिका बनाए बिना) और 30% की दर से कर लगाया जाता है। यद्यपि प्रतिभूतियों में किसी व्यापारी की दशा में अभिलाभों पर किसी अन्य साधारण कारबार आय के समान कर लगाया जाता है।

प्रतिभूति अंतरणों पर कर व्यवस्था का सरलीकरण करने की दृष्टि से, भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में हुए प्रतिभूतियों के खरीद के सभी संव्यवहारों के मूल्य पर 0.15% की दर से कर का उद्ग्रहण करने का प्रस्ताव है। इस कर का संग्रहण स्टाक एक्सचेंज द्वारा ऐसी प्रतिभूतियों के खरीददार से किया जाएगा और राजकोष में इसका संदाय किया जाएगा। प्रस्तावित कर के संबंध में उपाबंध वित्त (सं 2) विधेयक, 2004 के अध्याय 7 में अंतर्विष्ट हैं।

आय-कर अधिनियम की धारा 10 में खंड (38) अन्तःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे स्टॉक एक्सचेंज में ऐसी प्रतिभूतियों की बिक्री से उद्भूत दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभों से छूट का उपबंध किया जा सके। नई धारा 111क अन्तःस्थापित करने का और आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि, विदेशी संस्थागत निवेशकों सहित किसी निवेशक को ऐसी प्रतिभूतियों की बिक्री से उद्भूत लघु अवधि पूंजी अभिलाभों पर 10% की दर से कर प्रभारित किया जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2005-06 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[अध्याय 7 और खंड 5, 24, 25]

किसी कंपनी द्वारा अपराधों के लिए शास्ति

धारा 278ख के विद्यमान उपबंधों के अधीन जहां कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां कंपनी के साथ वह व्यक्ति भी जो उस अपराध के किए जाने के समय कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, ऐसे अपराध के लिए दोषी समझा जाएगा। यह भी उपबंध किया गया है कि जब अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण अपराध किया गया माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा।

कुछ अपराधों की बाबत यह उपबंध किया गया है कि दोषी पाया गया व्यक्ति कठोर कारावास और जुर्माने से दण्डनीय होगा। कंपनी विधिक व्यक्ति होने के नाते कारावास से दण्डित नहीं जा सकती है। इसे केवल जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

तदनुसार उक्त धारा में नई उपधारा (3) अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि यदि अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी व्यक्ति द्वारा, जो कंपनी है, किया गया है और ऐसा अपराध कारावास और जुर्माने से दंडनीय है तो ऐसी कंपनी केवल जुर्माने से दंडित की जाएगी किन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उसका भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था या ऐसी कंपनी का कोई निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी, जहां कहीं ऐसा उपबंध किया गया है कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा।

इसी प्रकार का संशोधन धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 35क में किए जाने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी होगा।

[खंड 57]

कतिपय मामलों में मूल्यांकन अधिकारी द्वारा प्राक्कलन

संपत्तियों के सन्निर्माण की लागत का अवधारण करने के लिए निर्धारण अधिकारी, आय-कर अधिनियम की धारा 131 के अधीन, जो यह उपबंध करती है कि निर्धारण अधिकारी में वही शक्तियां निहित होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय न्यायालय में निहित होती हैं। उसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मूल्यांकन अधिकारी की सहायता ले रहा है। ऐसी एक शक्ति उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन जो अन्य बातों के साथ-साथ न्यायालय को, "स्थानीय अन्वेषण और वैज्ञानिक तकनीकी या विशेषज्ञ अन्वेषण" करने के लिए भी सशक्त करता है "कमीशन जारी" करने की है। मूल्यांकन अधिकारी का प्राधिकार धन-कर अधिनियम के अधीन कराधान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1972 द्वारा तारीख 5.11.1972 से सृजित किया गया था। निर्धारण अधिकारी की मूल्यांकन अधिकारी को संपत्तियों के सन्निर्माण की लागत का प्राक्कलन करने के लिए निर्देश करने की धारा 131 के अधीन शक्ति की परिधि विभिन्न विधिक निर्वचनों का विषय रही है।

इस संबंध में किसी सन्देश का निराकरण करने के उद्देश्य से तारीख 15.11.1972 से भूतलक्षी प्रभाव से एक नई धारा 142क अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि निर्धारण अधिकारी के पास मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश करने की शक्ति है और सदैव थी।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि जहां धारा 69 या धारा 69ख में निर्दिष्ट किसी विनिधान के मूल्य या धारा 69क या धारा 69ख में निर्दिष्ट सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु के मूल्य का कोई प्राक्कलन इस अधिनियम के अधीन कोई निर्धारण या पुनःनिर्धारण करने को प्रयोजन के लिए किया जाना अपेक्षित है, वहां निर्धारण अधिकारी, मूल्यांकन अधिकारी से ऐसे मूल्य का कोई प्राक्कलन करके उसको रिपोर्ट करने की अपेक्षा कर सकेगा।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि ऐसे मूल्यांकन अधिकारी को, जिसे उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश के संबंध में कार्रवाई करने के प्रयोजनों के लिए, वे सभी शक्तियां होंगी, जो उसे धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 38क के अधीन प्राप्त हैं।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि निर्धारण अधिकारी, मूल्यांकन अधिकारी से रिपोर्ट की प्राप्ति पर और निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसा निर्धारण या पुनः निर्धारण करने में ऐसी रिपोर्ट को हिसाब में लेगा।

नई धारा 142क को भूतलक्षी रूप से अन्तःस्थापित करने का आशय पहले से विनिश्चित मामलों को (सिवाय उन मामलों के जहां धारा 153क के अधीन पुनः निर्धारण अपेक्षित है) अपरिनिर्धारित नहीं करना है, नई धारा में इस आशय के एक परन्तुक का उपबंध करने का प्रस्ताव है जिससे नई धारा के उपबंध 30 सितम्बर, 2004 को या उससे पहले किए गए निर्धारण की बाबत और ऐसे निर्धारणों के संबंध में लागू नहीं होंगे, जो उस तारीख को या उस से पहले अन्तिम और निश्चायक हो गए हैं।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 15 नवम्बर, 1972 से प्रभावी होगा।

[खंड 31]

धारा 12क के अधीन आयुक्त की रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की शक्ति

धारा 12क के विद्यमान उपबंधों के अधीन आय-कर आयुक्त द्वारा न्यास या संस्था का रजिस्ट्रीकरण करने की प्रक्रिया का उपबंध किया गया है। तथापि रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की शक्ति रजिस्टर करने की शक्ति में ही समाविष्ट है परन्तु आय-कर अधिनियम में इसका विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध में नहीं किया गया है जिससे अनावश्यक मुकदमेबाजी होती है।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि यदि आयकर आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि किसी न्यास या संस्था के क्रियाकलाप वास्तविक नहीं हैं या न्यास या संस्था के उद्देश्यों के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं तो वह संबद्ध न्यास या संस्था को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात उक्त धारा के अधीन मंजूर किए गए रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने वाला आदेश लिखित में पारित करेगा।

प्रस्तावित संशोधन 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी होंगे।

[खंड 6]

धारा 10(15क) के अधीन छूट वापस लेना और धारा 10(6खख) के अधीन छूटों को पुनः लागू करना

धारा 10(15क) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, वायुयान के प्रचालन के कारबार में लगी हुई किसी भारतीय कंपनी द्वारा किसी ऐसे करार के अधीन, जो 1 अप्रैल, 1997 और 31 मार्च, 1999 के बीच किया गया करार नहीं है, किसी विदेशी राज्य की सरकार या विदेशी उद्यम से पट्टे पर वायुयान या वायुयान इंजन के अर्जन के लिए, जो केंद्रीय सरकार सरकार द्वारा अनुमोदित है, किया गया संदाय, कुल आय की संगणना में सम्मिलित नहीं है।

1 सितंबर, 2004 को या उसके पश्चात किए गए ऐसे सभी करारों के संबंध में उक्त छूट वापस लेने का प्रस्ताव है।

धारा 10(6खख) में विद्यमान उपबंधों के अधीन, आयकर छूट का उस कर के संबंध में उपबंध किया गया है जिसका संदाय किसी ऐसी भारतीय कंपनी द्वारा, जो वायुयान के प्रचालन के कारबार में लगी हुई है, उस आय पर, जो किसी विदेशी राज्य की सरकार या किसी विदेशी उद्यम द्वारा 31 मार्च, 1997 के पश्चात किंतु 1 अप्रैल, 1999 के पूर्व और इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित करार के अधीन पट्टे पर वायुयान या वायुयान इंजन के अर्जित किए जाने के प्रतिफल के रूप में व्युत्पन्न आय पर किया गया है तथा ऐसी आय पर कर ऐसी भारतीय कंपनी द्वारा उस करार के निबंधनों के अधीन केंद्रीय सरकार को संदेय है और यह विदेशी उद्यम की कुल आय की संगणना करने में सम्मिलित नहीं है।

1 सितंबर, 2004 को या उसके पश्चात किए गए सभी ऐसे करारों के संबंध में उक्त छूट अनुज्ञात करने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 5]

अनिवासी (बाह्य) खाते के ब्याज से संबंधित धारा 10(4)(ii) का अंतिम उपबंध

धारा 10(4)(ii) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी व्यक्ति की दशा में, भारत में किसी बैंक में किसी अनिवासी (बाह्य) खाते में उसके नाम में जमा धनों पर ब्याज के माध्यम से हुई आय को उसकी कुल आय की संगणना करने में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

यह प्रस्ताव है कि 1 सितंबर, 2004 को या उसके पश्चात उसे संदत्त या भारत में किसी बैंक में अनिवासी (बाह्य) खाते में उसके नाम जमा किए गए ब्याज से हुई आय के संबंध में दी गई छूट वापस ली जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 5]

विदेशी मुद्रा निक्षेपों पर ब्याज से संबंधित धारा 10(15)(iv) (चक) का अंतिम उपबंध

धारा 10(15)(iv) (चक) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी अनुसूचित बैंक द्वारा, किसी अनिवासी को या किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामूली तौर पर निवासी नहीं है, विदेशी मुद्रा में निक्षेपों पर, जहां बैंक द्वारा ऐसे निक्षेपों का प्रतिग्रहण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हो, संदेय ब्याज को उसकी कुल आय की संगणना करने में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

यह प्रस्ताव है कि 1 सितंबर, 2004 को या उसके पश्चात संदेय ऐसे ब्याज के संबंध में दी गई छूट वापस ली जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा, और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2005-2006 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 5]

धारा 90 का संशोधन

धारा 90 के स्पष्टीकरण में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन यह घोषित किया गया है कि किसी विदेशी कंपनी की बाबत कर का प्रभार उस दर से अधिक दर पर जिस पर कोई देशी कंपनी प्रभार्य है ऐसी विदेशी कंपनी की बाबत कर का कम अनुकूल प्रभार या कर का कम उद्ग्रहण नहीं समझा जाएगा जहां ऐसी विदेशी कंपनी ने लाभांशों की (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेरों पर लाभांश भी हैं) जो भारत में उसकी आय में से संदेय है, भारत में घोषणा और संदाय के लिए विहित व्यवस्था नहीं की है।

स्पष्टीकरण में आने वाले शब्दों "जहां ऐसी विदेशी कंपनी ने लाभांशों की (जिसके अंतर्गत अधिमानी शेयरों का लाभांश भी है) जो भारत में उसकी आय में से संदेय है, भारत में घोषणा और संदाय के लिए विहित व्यवस्था नहीं की है", का लोप करने का प्रस्ताव है, क्योंकि विदेशी कंपनी के मामले में यह शब्द निरर्थक हो गए हैं।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 1962 से प्रभावी होगा, और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 1962-1963 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 22]

जोखिम पूंजी उपक्रम की परिभाषा का उपांतरण

धारा 10(23चख) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन जोखिम पूंजी उपक्रम को ऐसी घरेलू कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके शेयर भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं और जो सेवाएं उपलब्ध कराने, किसी वस्तु या पदार्थ के उत्पादन या विनिर्माण में लगी हुई हैं, किंतु इसके अंतर्गत ऐसे क्रियाकलाप या सेक्टर नहीं हैं जो केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

यह प्रस्ताव है कि जोखिम पूंजी उपक्रम को ऐसे परिभाषित किया जाए जिससे इस परिभाषा को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए जाए और बोर्ड द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जोखिम पूंजी निधि) विनियमन, 1996 में निर्दिष्ट परिभाषा के समरूप बनाया जाए।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी होगा।

[खंड 5]

टनभार कर को लागू करना

भारतीय पोत परिवहन उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए पोत परिवहन लाभों के कराधान के लिए टनभार कर स्कीम लागू किए जाने का प्रस्ताव है कई समुद्रीय देशों ने टनभार आधारित कराधान लागू किया है। प्रस्तावित टनभार कर स्कीम की कुछ मूल विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

- यह उपधारणात्मक कराधान की स्कीम है जिसके द्वारा पोत के प्रचालन से उद्भूत होने वाली नोशनल आय पोत के टनभार के आधार पर अवधारित की जाती है।
- नोशनल आय पर वर्ष के लिए लागू साधारण निगमित दर पर कर लगाया जाता है।
- किसी वर्ष में हानि होने पर भी कर संदेय होता है।
- कंपनी स्कीम के लिए विकल्प ले सकेगी और एकबार ऐसा विकल्प लिए जाने पर, 10 वर्ष की लाक इन अवधि होती है। यदि कंपनी बाहर होने का विकल्प लेती है, तो इसे 10 वर्षों के लिए पुनः स्कीम के अंतर्गत आने से अपवर्जित कर दिया जाता है।
- चूंकि यह कराधान की अधिमानी व्यवस्था है, आरक्षिती का सृजन, प्रशिक्षण आदि जैसी कतिपय शर्तों की पूर्ति अपेक्षित है।
- कतिपय परिस्थितियों में कंपनी को निष्कासित किया जा सकता है।

एक नया अध्याय 12छ अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है किया गया है जिसमें धारा 115फ से 115व फग तक अंतर्विष्ट हैं जिसमें पोत परिवहन कंपनियों की आय के कराधान से संबंधित विशेष उपबंधों का उपबंध है। यह अध्याय 7 भागों में विभाजित है। भाग क में कतिपय पदों के अर्थ अंतर्विष्ट हैं जो विशिष्टतया पोत परिवहन कारबार में प्रयुक्त होते हैं।

भाग ख टनभार आय की संगणना की पद्धति बताता है। भाग ग टनभार कर स्कीम के विकल्प के लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करता है। भाग घ स्कीम के लागू होने की शर्तें बताता है। भाग ङ में समामेलन और निर्विलयन के उपबंध अंतर्विष्ट हैं। भाग च में प्रकीर्ण उपबंध अंतर्विष्ट है और भाग छ में स्कीम से अपवंचन और अपवर्जन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं।

प्रस्तावित स्कीम की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

कंपनी जिसके स्वामित्वाधीन कम से कम एक पोत है, शामिल हो सकती है। एक अर्हक पोत वह है जो कम से कम 15 टन शुद्ध टनभार का है और जिसके पास विधिमानी प्रमाणपत्र है। कंपनी को, 3 मास के भीतर, अर्थात् 1 अक्टूबर, 2004 से 31 दिसंबर, 2004 के बीच किसी भी समय, सम्बद्ध संयुक्त आयुक्त को, जो समुचित आदेश पारित कर सकेगा विहित प्ररूप में आवेदन करके, स्कीम के लिए विकल्प लेना होगा।

धारा 115घ के निबंधनों के अनुसार जो ऐसे पोतों के संबंध में ब्यौरे देती है कि किस प्रकार के पोत स्कीम के लिए अर्हक होंगे, कतिपय प्रकार के पोत जैसे मछली पकड़ने का जलयान, क्रीड़ायायन आदि अपवर्जित किए गए हैं।

अर्हक पोतों के प्रचालन का कारबार एक पृथक कारबार माना गया है और इनके लिए पृथक लेखे बनाए रखे जाने हैं। धारा 115 फछ दैनिक टनभार आय की संगणना की रीति बताती है जो कि पोत प्रचालन के दिनों की संख्या से गुणा किए जाने पर पोत से वार्षिक टनभार आय बताती है। कंपनी जिसके स्वामित्वाधीन कम से कम एक पोत है, प्रचालन के प्रयोजन के लिए कतिपय सीमाओं के अधीन रहते हुए पोतों को भाड़े पर ले सकती है। सुसंगत पोत परिवहन आय जो प्रचालनों से वास्तविक आय का प्रतिस्थापन करती है, धारा 115फज में परिभाषित की गई है, धारा 115फभ सामान्य खर्चों के दिए जाने से संबंधित है।

स्कीम का विकल्प लेने वाली कंपनी को किसी हानि के मुज़रे की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ना ही किसी अवक्षयण की अनुज्ञा दी जाएगी। तथापि हानि और अवक्षयण दोनों की अनुज्ञा दी गई समझी जाएगी और सुसंगत पोत परिवहन आय से नोशनल समायोजन किए जाते हैं।

यद्यपि अवक्षयण अनुज्ञात नहीं है, कम्पनी द्वारा स्कीम में सम्मिलित होते समय अर्हक पोतों और अनर्हक पोतों का द्विविभाजन किया जाना आवश्यक है। धारा 115 पट अर्हक और अनर्हक पोतों के मद्दे अवलिखित मूल्य को आर्बटिट करने की पद्धति अवलिखित करती है। अर्हक आस्तियों के अन्तरण से किसी आय को उसी रीति में उस रूप में माना जाता है जैसे कि धारा 115 फढ के निबंधनों में किसी अन्य कारबार के लिए मानी जाती है।

अर्हक पोतों के प्रचालन के कारबार से लाभों को धारा 115 फण के अनुसार मैट प्रयोजनों के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा।

धारा 115 फत विकल्प लेने की प्रक्रिया और अनुमोदन प्रदान करने की रीति अधिकथित करती है। धारा 115 फथ यह अधिकथित करती है कि किसी कंपनी द्वारा एक बार विकल्प लिए जाने पर, यह विकल्प कतिपय परिस्थितियों को छोड़कर दस वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगा। धारा 115 फध ऐसी परिस्थितियों का उपबंध करती है, जिनमें किसी टनभार कंपनी को स्कीम का विकल्प लिए जाने से प्रतिषिद्ध किया जाता है। ऐसा प्रतिषिद्ध 10 वर्ष की अवधि के लिए है। धारा 115 फन, 115 फप, 115 फफ और 115 फभ स्कीम के लागू होने के लिए शर्तें अधिकथित करती है। धारा 115 फन के निबंधों के अनुसार किसी टन भार कर कम्पनी को, उसके बही अभिलाभों के कम से कम 20% से एक आरक्षित का सृजन करना होगा, जिसे नए पोतों के अर्जन के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना है। धारा 115 फप के अनुसार किसी टनभार कम्पनी को, महानिदेशक (पोत परिवहन) द्वारा जारी किए जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार न्यूनतम प्रशिक्षण अपेक्षा का अनुपालन करना है। यदि प्रशिक्षण अपेक्षाओं को पांच क्रमवर्ती वर्षों के लिए पूरा नहीं किया जाता है तो कम्पनी को निष्कासित कर दिया जाएगा धारा 115 फफ भाड़े पर लेने के लिए 49% की सीमा अधिकथित करती है। धारा 115 फब के निबंधनों के अनुसार, स्कीम का विकल्प लेने वाली किसी कम्पनी के लिए पृथक लेखा वहियों का रखा जाना और उनकी संपरीक्षा करना अनिवार्य है। धारा 115 फभ ऐसे विधिमाम्य प्रमाणपत्र के संबंध में ब्यौरे अधिकथित करती है जो पोतों का शुद्ध टन भार उपदर्शित करता है। धारा 115 फभ और धारा 115 फय समामेलन और निर्विलयन के लिए आक्समिकताओं के लिए उपबंध करती है। धारा 115फयख किसी कम्पनी को अधिमानी कर व्यवस्था का दुरुपयोग करने का निदेश करती है और धारा 115 फयग दुरुपयोग की दशा में किसी कम्पनी के निष्कासन के लिए उपबंध करती है। संयुक्त आयुक्त द्वारा टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प नामंजूर किए जाने की दशा में आयुक्त (अपील) को तथा स्कीम के दुरुपयोग की दशा में निष्कासन आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील किए जाने का उपबंध करने के लिए परिणामिक संशोधनों का भी प्रस्ताव है।

प्रस्ताव टन भार कर स्कीम लागू किए जाने के साथ धारा 33 कग के अधीन कटौती को वापस लेने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2005-2006 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 9,28,50 और 51]

वित्तीय बाजार को बढ़ावा देने के लिए उपाय

खुली साधारण शेयरोंन्मुखी निधियों के लिए छूट

धारा 115 द की उपधारा (2) के विद्यमान उपबंधों के अधीन-1 अप्रैल- 2003 से आरंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए ऐसी निधियों से किए गए किसी विवरण की बाबत खुली साधारण शेयरोंन्मुखी निधियों के यूनिट धारकों को वितरित किसी आय की बाबत कोई अतिरिक्त कर उद्गृहीत नहीं किया जाना था।

किसी समय सीमा के बिना उक्त छूट को जारी रखने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1.4.2004 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

यह संशोधन निर्धारण वर्ष 2005-2006 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए सुसंगत होगा।

[खंड 27]

सीमाशुल्क

टिप्पण : (क) "सीमाशुल्क" से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन उद्गृहीत शुल्क अभिप्रेत है।

(ख) "सीवीडी" से सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 के अधीन अतिरिक्त सीमा शुल्क अभिप्रेत है।

जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, परिवर्तन तुरन्त प्रभावी होंगे।

सीमाशुल्क के विषय में मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित हैं:

क. शिक्षा उपकर

भारत में आयात की जाने वाली मदों पर शिक्षा उपकर उद्गृहीत किया गया है। यह ऐसे मालों पर उद्गृहणीय कुल सीमाशुल्क पर (सिवाय धारा 8ख और 8ग के अधीन सुरक्षा शुल्क, धारा 9 के अधीन प्रतिशुल्क और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क के अधीन प्रतिपाटन शुल्क के) 2 प्रतिशत की दर से उद्गृहणीय है। उन मदों को, जिन पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अधीन सीमाशुल्क की बंधित दर लागू होती है इस उपकर से मुक्त रखा गया है। सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उद्गृहणीय अतिरिक्त सीमाशुल्क के कारण प्राप्त उपकर, जो इनपुटों और पूंजी मालों पर संदत्त है, भारत में विनिर्मित अन्तिम उत्पादों पर उपकर का भुगतान करने के लिए प्रत्यय के रूप में उपलब्ध होगा।

ख. धातुएं:

(I) निम्नलिखित धातुओं पर सीमाशुल्क को 20 प्रतिशत से घटा कर 15 प्रतिशत कर दिया गया है:-

- (क) लौह मिश्र धातु
- (ख) स्टेनलेस इस्पात और अन्य मिश्र धातु इस्पात, दूसरे दर्जे और त्रुटियुक्त को छोड़कर
- (ग) तांबा
- (घ) सीसा
- (ङ) जस्ता
- (च) टंगस्टन
- (छ) मेग्नेशियम
- (ज) कोबाल्ट
- (झ) कैडमियम
- (ञ) टाइटेनियम
- (ट) अध्याय 81 की अन्य आधार धातुएं

(I I) शीर्ष 7201 और 7203 से 7217 तक के लौह और इस्पात के सभी आंशिक, अर्द्धनिर्मित और निर्मित रूपों जैसे पिंडों, बिल्टों, स्पांज लौह और अमिश्रित इस्पात की ताप बेलित और शीत बेलित सलाखें/छडें/कुंडलियों पर (दूसरी श्रेणी के और त्रुटियुक्त को छोड़कर) सीमाशुल्क को 15 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

ग. खनिज

निम्नलिखित खनिजों पर सीमाशुल्क को 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है:-

- (क) ग्रेफाइट
- (ख) अस्बेस्टस
- (ग) अभ्रक
- (घ) फ्लूरस्पर और फेल्स्पर
- (ङ) जिप्सम
- (च) संगमरमर, ग्रेनाइट जैसी कुछ मदों को छोड़कर अध्याय 25 के अन्य खनिज

घ. रिफ्रेक्ट्री और रिफ्रेक्ट्रियों के इनपुट

निम्नलिखित पर सीमाशुल्क 20 प्रतिशत से घटा कर 15 प्रतिशत कर दिया गया है:

- (क) रिफ्रेक्ट्री
- (ख) रिफ्रेक्ट्रियों के लिए कच्चा माल, उदाहरणार्थ, प्राकृतिक ग्रेफाइट चूर्ण, अल्यूमिनस सीमेंट, कैल्सिड अल्यूमिना, बोरोन कार्बाइड, प्रतिक्रियाकारी अल्यूमिना, सिलिकान धातु (99 प्रतिशत शुद्धता), माइक्रॉ/धूमित सिलिका; भूरा गला हुआ अल्यूमिना, गला हुआ जिरकोनिया, सिलिकान कार्बाइड, सोडियम हेक्सामेटा फास्फेट, फेनोलिक रेजिन और गला हुआ सिलिका।

ङ. भस्म और अवशिष्ट

निम्नलिखित पर सीमाशुल्क 20 प्रतिशत से घटा कर 15 प्रतिशत कर दिया गया है:

- (क) जिंक स्पेल्टर/चूरा
- (ख) तांबा मिल स्केल

च. उत्प्रेरक

शीर्ष 3815 के उत्प्रेरकों पर सीमाशुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।

छ. प्रतिशुल्क की छूट को वापस लेना

विनिर्दिष्ट मदों पर प्रतिशुल्क की छूट को वापस ले लिया गया है।

ज. कृषि

- (1) शीर्ष 1108 के स्टार्चों पर (गेहूँ या आलू स्टार्च से भिन्न) और शीर्ष 1903 के सभी मालों पर सीमाशुल्क की टैरिफ दर को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। प्रभावी दर अपरिवर्तित रहेगी।
- (2) उपशीर्ष 3505 10 के उपांतरित स्टार्च पर सीमाशुल्क टैरिफ दर को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। प्रभावी दर अपरिवर्तित रहेगी।
- (3) पाम तेल पर (कच्चे पाम तेल से भिन्न) सीमाशुल्क को 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है।
- (4) विनिर्दिष्ट बागान मशीनरी को इस समय उपलब्ध 5 प्रतिशत सीमाशुल्क + शून्य प्रतिशुल्क की रियायती दर का, अन्य मशीनरी मदों, अर्थात्, कॉफी पैकेजिंग मशीन, कॉफी बैगिंग मशीन, रोटरी शिफ्टर, लेटरल साइक्लोन विन्डोवर और विभाजक बाइपास पर विस्तार किया गया है। उत्पाद-शुल्क छूट के माध्यम से प्रतिशुल्क से छूट दी गई है। ये छूटें 30.4.2005 तक उपलब्ध रहेंगी।

झ. स्वास्थ्य

- (1) बोलती पुस्तकों, बोलते कैल्कुलेटर्स, बोलते तापमापियों, ब्रेल राइटर्स, ब्रेल कम्प्यूटर टर्मिनलों जैसे पुनर्वास सहायकों को सीमाशुल्क से छूट दी गई है। प्रतिशुल्क से उत्पाद-शुल्क में छूट के माध्यम से छूट दी गई है।
- (2) फोनोग्राफ और कैसेट प्लेयर, बोलती पुस्तकों को चलाने के लिए चुम्बकीय टेपों और बोलती पुस्तकों के उत्पादन के लिए कैसेटों, इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग मशीनों, टेलिविजन एनलार्जर्स, प्रकाशीय सहायकों को प्रतिशुल्क से तब पूर्णतया छूट दी गई है, जब उनका नेत्रहीनों और बधिरों की किसी संस्था द्वारा आयात किया जाए।
- (3) नेत्रहीनों के लिए मूर्त साधित्र, श्रवण सहाय आदि, पर, जब इन्हें नेत्रहीन और बधिर व्यक्तियों के लिए किसी संस्था द्वारा आयात किया जाता है, आयात शुल्क छूट का लाभ लेने के लिए इन शर्तों का कि वस्तुएं या तो दान की गई हों या संदान में से क्रय की गई हों, लोप किया गया है।
- (4) शारीरिकतः विकलांग रोगियों के लिए यंत्रों और अधिरोपणों, अस्थि-जोड़ प्रतिस्थापन, मेरुदण्डीय यंत्रों और अधिरोपण जिनमें अस्थि सीमेंट, बैसाखियां, पहिएदार कुर्सियां, टहलने के फ्रेम, तिपहियां साइकिलें, ब्रेलर, कृत्रिम अंग तथा उनके पुर्जे भी हैं, पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है।

ञ. सूचना प्रौद्योगिकी:

- (1) सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाता को मोबाइल स्विचिंग केन्द्रों के लिए वर्तमान में उपलब्ध सीमाशुल्क छूट का विस्तार, सार्वभौमिक अभिगमन सेवा प्रदाताओं द्वारा किए गए आयातों पर किया गया है।
- (2) कैथोड रे ट्यूबों के पुर्जों के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्री और मोबाइल टेलीफोन हेंडसेटों, कैथोड रे ट्यूबों और उनके पुर्जों तथा प्लाज्मा प्रदर्श पैनलों के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट पूंजी माल को सीमाशुल्क से छूट दी गई है।
- (3) दूर संचार श्रेणी के प्रकाशीय फाइबरों तथा केबलों के लिए विनिर्माण के विनिर्दिष्ट मालों पर वर्तमान में उपलब्ध सीमाशुल्क छूट कुछ अतिरिक्त विनिर्दिष्ट मदों पर विस्तारित की गई है।

ट. निर्यात संवर्धन

- (1) प्लेटिनम पर सीमाशुल्क 550 रुपए प्रति 10 ग्राम से घटाकर 200 रुपए प्रति 10 ग्राम कर दिया गया है।
- (2) सभी बिना तराशे रंजित रत्नों (जिसमें माणिक्य, पन्ना तथा नीलम भी है) को सीमाशुल्क से पूर्णतः छूट दी गई है।
- (3) चमड़ा उद्योग में उपयोग के लिए विनिर्दिष्ट मदों के लिए वर्तमान में उपलब्ध 5 प्रतिशत सीमाशुल्क की रियायती दर भी गैर-चमड़ा जूतादि उद्योग में उपयोग के लिए अभिकल्पित ऐसी मदों के लिए बढ़ा दी गई हैं। ये मदें प्रतिशुल्क के अध्यक्षीन होंगी।
- (4) शीर्ष 9508 के राउंडएबाउट, झूलों, निशानेबाजी दीर्घाओं तथा अन्य मेला स्थल विनोद पर सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।
- (5) पेटेन्ट चमड़े को सीमा शुल्क से छूट दी गई है।

ठ. टेक्सटाइल मशीनरी

- (1) विनिर्दिष्ट टेक्सटाइल और वस्त्र बनाने वाली मशीनरी पर सीमाशुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। ये मदें प्रतिशुल्क के अध्यक्षीन होंगी। ऐसी मशीनों के विनिर्माण के लिए आयातित पुर्जों पर भी अंत-उपयोग शर्त के अध्यक्षीन 5 प्रतिशत सीमाशुल्क लगेगी।
- (2) रेशम टेक्सटाइल उद्योग के लिए विनिर्दिष्ट मशीनरी पर सीमाशुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। ये मदें प्रतिशुल्क के अध्यक्षीन होंगी।

ड. प्रकीर्ण:

- (1) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची की टैरिफ मद 2922 42 20 के वर्णन को इस प्रकार संशोधित किया गया है जिससे "अजीनोमोटो" शब्द को हटाया जा सके। यह परिवर्तन वित्त (सं. 2) विधेयक, 2004 के अधिनियमन पर प्रभावी होगा।
- (2) औद्योगिक वसायुक्त अम्लों तथा वसायुक्त ऐल्कोहल के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त अखाद्य श्रेणी के औद्योगिक वनस्पति तेलों के आयात पर वास्तविक उपभोक्ता आधार पर सीमाशुल्क घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।

उत्पाद-शुल्क

टिप्पण: (क) अ.उ.शु. (वि.म.मा.) से अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम अभिप्रेत है।

(ख) आरएसपी से खुदरा विक्रय मूल्य अभिप्रेत है।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के संबंध में मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित हैं:

सभी परिवर्तन तुरंत प्रभावी होंगे।

क. शिक्षा उपकर

भारत में विनिर्मित उत्पाद-शुल्क्य माल पर शिक्षा उपकर उद्गृहीत किया जा रहा है। यह ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय समग्र उत्पाद-शुल्क पर 2% की दर से प्रभार्य होगा। केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार इनपुट तथा पूंजी माल पर संदत उपकर का प्रत्यय अन्तिम उत्पादों पर उपकर संदाय के लिए प्रत्यय के रूप में उपलब्ध होगा।

ख. कार आधार को विस्तृत करना तथा मध्यम केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर दर के लिए प्रस्ताव करना

(I) 8 प्रतिशत उत्पाद-शुल्क निम्नलिखित मदों पर अधिरोपित किया गया है:

- (1) संस्पर्श लैस
- (2) ताश

साधारण लघु उद्योग छूट इन मदों को उपलब्ध है।

(I I) निम्नलिखित मदों पर उत्पाद-शुल्क 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत कर दिया गया है:

- (1) केक और पेस्ट्री
- (2) प्लास्टिक के उष्मारोधी बर्तन
- (3) निर्वात फलारक
- (4) सुगंधित सुपारी
- (5) पूर्व संविरचित भवन
- (6) प्रयोगशाला का कांच का सामान
- (7) बड़ी घड़ियां तथा घड़ियां जिनका खुदरा विक्रय मूल्य 500 रु. प्रति नग से अधिक नहीं है।
- (8) मोनोक्रोम टेलीविजन ग्राही
- (9) मोनोक्रोम टेलीविजन ग्राहियों के लिए सघन मुद्रित परिपथ बोर्ड
- (10) नकली आभूषण
- (11) मोमबत्ती

साधारण लघु उद्योग छूट इन सभी मदों के लिए उपलब्ध होगी।

(I I I) अर्ध-यंत्रिकृत और यंत्रिकृत सेक्टरों में निर्मित दियासलाइयों पर केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय रहित उत्पाद-शुल्क 8 प्रतिशत से परिवर्तित करके सहित 16 प्रतिशत कर दिया गया है।

(I V) अध्याय 72 के लौह और इस्पात पर उत्पाद-शुल्क 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है।

(V) निम्नलिखित मदों पर 16 प्रतिशत उत्पाद-शुल्क अधिरोपित किया गया है:-

- (1) पूर्व संविरचित भवनों के ब्लाकों/स्लैबों, कंकरीत बीमों तथा सीढ़ियों जैसे विनिर्दिष्ट भाग
- (2) 500 रु. प्रति नग से अनधिक की खुदरा विक्रय मूल्य की बड़ी घड़ियां तथा घड़ियों के पुर्जे

साधारण लघु उद्योग छूट इन सभी मदों के लिए उपलब्ध होगी।

ग. अनुतोष उपाय

- 1) जूतादि पर उत्पाद-शुल्क छूट के लिए खुदरा विक्रय मूल्य की सीमा को 125 रुपए प्रति जोड़ा से बढ़ाकर 250 रुपए प्रति जोड़ा कर दिया गया है। अब यह छूट केवल तभी उपलब्ध होगी यदि खुदरा विक्रय मूल्य को अमिट रूप से जूतादि पर ही चिन्हनकित या उत्कीर्ण किया गया है।
- 2) 2000 रुपए प्रति यूनिट से कम खुदरा विक्रय मूल्य के गैस चूल्हों पर उत्पाद-शुल्क को 16% से घटाकर 8% किया गया है।
- 3) पेनों और बॉल प्वाइंट पेनों के उत्पाद-शुल्क छूट की मूल्य सीमा को 100 रुपए प्रति नग से बढ़ाकर 200 रुपए प्रति नग किया गया है।
- 4) पेनों के पुर्जों और बॉल प्वाइंट पेनों के पुर्जों को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है।
- 5) कंप्यूटरों को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है। एकल सेन्ट्रल प्रोसेसिंग युनिट (सीपीयू) भी छूट के लिए पात्र होंगे। कंप्यूटर विनिर्माता के कारखाने में सीमित स्थान में उपयोग वाले पुर्जों को भी उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है।
- 6) अध्याय 18 या 19 के अंतर्गत आने वाले चॉकलेटों और माल्टीकृत खाद्य पेयों जैसे गैर-अल्कोहली पेयों को, जिनको वेडिंग मशीनों के माध्यम से तैयार और प्रदाय किया जाता है, को भी उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है।

घ. कृषि

- 1) शीर्ष 87.01 के ट्रेक्टरों को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है। ट्रेक्टरों के विनिर्माता के कारखाने में सीमित स्थान उपयोग वाले पुर्जों को भी उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है।
- 2) शीर्ष 84.34 की दुग्ध-दोहन मशीनों और दुग्ध उत्पाद मशीनरी को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है।
- 3) मांस, मछली और कुक्कुट की ब्रांडीकृत और पैकड निर्मितियों पर उत्पाद-शुल्क को 16% से घटाकर 8% किया गया है।
- 4) खाद्य श्रेणी हैक्सेन पर उत्पाद-शुल्क को 32% से घटाकर 16% किया गया है।
- 5) शीर्ष 82.01 के हस्त औजारों को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है।
- 6) विनिर्दिष्ट बागान मशीनरियों को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है। यह छूट 30 अप्रैल, 2005 तक उपलब्ध होगी।

ड. टेक्सटाइल

- 1) केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर स्कीम को वैकल्पिक बनाया गया है। केवल मानव निर्मित फाइबर और फिलामेंट सूतों (जिनके अंतर्गत संव्यूतित सूत भी हैं) पर ही आज्ञापक उत्पाद शुल्क होगा।
- 2) मानव निर्मित स्टेपल फाइबरों अर्थात् रोज़ तथा स्टेपल फाइबर और उनके अपशिष्ट पर विद्यमान 16% का शुल्क जारी रहेगा।
- 3) तथापि, मानवनिर्मित फाइबरों या फिलामेंट सूत के, जिन पर आज्ञापक शुल्क लगता है, विनिर्माण के क्रम में उद्भूत होने वाले से भिन्न मानव निर्मित फाइबर के अपशिष्ट को छूट दी गई है।
- 4) पोलिएस्टर संव्यूतित सूत सहित पोलिएस्टर फिलामेंट सूत पर विद्यमान 24% का शुल्क जारी रहेगा।
- 5) अन्य संश्लिष्ट और कृत्रिम फिलामेंट सूतों पर, उत्पाद-शुल्क को बढ़ाकर 16% कर दिया गया है।
- 6) अध्याय 50 से 63 के अन्य सभी टेक्सटाइल माल को, उदाहरणार्थ कते सूत, ग्रे या प्रसंस्कृत फेब्रिक, वस्त्र, मेड-अप और टेक्सटाइल वस्तुओं को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है, परंतु यह कि केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 के अधीन कोई प्रत्यय न लिया गया हो। यह छूट वैकल्पिक है। शुल्क के संदाय का विकल्प लेने वाले व्यक्ति के लिए उत्पाद-शुल्क की दरें निम्नानुसार होंगी-
 - क) शुद्ध सूत से बने सभी टेक्सटाइल माल, जिनमें कोई अन्य टेक्सटाइल सामग्री नहीं है- 4%
 - ख) अन्य टेक्सटाइल माल- 8%
 शुल्क के संदाय का विकल्प लेने वाला व्यक्ति केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय लेने के लिए हकदार होगा।
- 7) ऐसे टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तुओं, जिनपर इस समय टैरिफ की दर "शून्य" है, पर टैरिफ की दर शून्य ही बनी रहेगी, रेशम सूत, रेशम अपशिष्ट से कते सूत, रेशम के व्यूतित फेब्रिक और रेशम अपशिष्ट (शीर्ष सं. 50.04 और 50.05) को छोड़कर। इन मदों के लिए शून्य (केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय रहित) या 8% (केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय सहित) का वैकल्पिक शुल्क विहित किया गया है। इन मदों के लिए टैरिफ दरों का उपयुक्ततः संशोधन किया गया है।
- 8) अध्याय 50 से 63 के अंतर्गत आने वाले सभी टेक्सटाइलों और टेक्सटाइल वस्तुओं को अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व के माल) अधिनियम और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तुएं) अधिनियम के अधीन जहां कहीं वे लागू हों, पूर्णतः छूट दी गई है।
- 9) फुटकर कार्य पर पोलिएस्टर फिलामेंट सूत के विनिर्माण को अधिसूचना सं. 214/84 - केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की परिधि से अपवर्जित किया गया है।

च. स्वास्थ्य

- 1) सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों के लिए एम्बुलेंसों पर 16% के विद्यमान रियायती उत्पाद-शुल्क को सभी एम्बुलेंसों पर विस्तारित किया गया है।
- 2) बोलती पुस्तकों, बोलते केल्व्यूलेटों, बोलते तापमापियों, ब्रेल राइटर्स, ब्रेल कंप्यूटर टर्मिनलों जैसे पुनर्वास सहायकों को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है।
- 3) हेपेटाइटिस-बी का पता लगाने के लिए प्रयुक्त नैदानिक किटों पर उपलब्ध उत्पाद-शुल्क छूट को सभी प्रकार के हेपेटाइटिस का पता लगाने के लिए प्रयुक्त नैदानिक किटों पर विस्तारित किया गया है।

छ. प्रकीर्ण

- 1) शीलों में न्यूजप्रिंट को उत्पाद-शुल्क से छूट दी गई है।
- 2) भारी जल के विनिर्माण में उपयोग के लिए अमोनिया और संश्लिष्ट गैस के उत्पादन में उपयोग होने वाले नाफ्था/प्राकृतिक गैसोलीन द्रव्य (एनजीएल) के लिए विद्यमान उत्पाद-शुल्क छूट को, भारी जल के विनिर्माण के लिए भारी जल संयंत्रों को प्रदाय की जाने वाली भाप के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली नाफ्था/एनजीएल पर विस्तारित किया गया है।
- 3) सिक्किम, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश के लिए क्षेत्र आधारित छूटों के मामले में एक अंतिम खंड प्रस्थापित किया गया है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि ये छूटें केवल ऐसी इकाइयों को ही उपलब्ध होंगी, जो 31.03.2007 को या इससे पूर्व स्थापित की जाती हैं, या विद्यमान इकाइयों का व्यापक रूप से विस्तार किया जाता है और वे 31.08.2007 को या उससे पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करती हैं।
- 4) यदि खुदरा विक्रय मूल्य घोषित नहीं किया गया है या सही रूप से घोषित नहीं किया गया है तो रंगीन टेलीविजन ग्राहियों पर विहित उत्पाद शुल्क की विनिर्दिष्ट दरें वापस ले ली गई हैं। रंगीन टेलीविजन ग्राहियों पर अब उत्पाद-शुल्क की 16% एक समान दर लागू होगी।
- 5) पूर्वोत्तर क्षेत्र में तम्बाकू उत्पादों (सिगरेट और बीड़ी से भिन्न) का उत्पादन करने वाली विनिर्दिष्ट प्रकार की यूनियों के लिए छूट स्कीम में तिमाही की समाप्ति से छह मास के भीतर प्रति तिमाही उत्पाद-शुल्क रकम निवेश करने के लिए शर्त शिथिल कर दी गई है। रकम को किसी निलम्बलेख खाते में इस शर्त के अधीन जमा किया जा सकेगा कि रकम का उक्त निलम्बलेख खाते में जमा करवाने के दो वर्ष के भीतर पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश किया जाएगा।

ज. खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) आधारित निर्धारण:

(I) उत्पाद-शुल्क दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप कमी की दरों में परिवर्तन किए गए हैं :

1. गैस चूल्हों पर छूट, जिनका प्रति इकाई खुदरा मूल्य 2000 रुपए से अधिक नहीं है, 40% से घटाकर 35% कर दी गई है।
2. सुगन्धित सुपारी पर छूट 30% से बढ़ाकर 35% कर दी गई है।
3. प्लास्टिक के ऊष्मारोधी बर्तनों पर छूट 40% से बढ़ाकर 45% कर दी गई है।
4. निर्वात फ्लास्क पर छूट 35% से बढ़ाकर 40% कर दी गई है।

(II) खुदरा बिक्री मूल्य आधारित निर्धारण कर मोनोक्रोम (श्याम और श्वेत) टेलीविजन सेटों पर 35% छूट को विस्तारित किया गया है।

सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियमों और नियमों में संशोधन

क्रम संख्या 4,5,6,8,9 और 10 के सामने उल्लिखित परिवर्तन तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे। अन्य परिवर्तन वित्त (सख्यांक 2) विधेयक, 2004 के अधिनियमन पर प्रभावी होंगे।

1. कार्यवाहियों के प्रारम्भ किए जाने से पूर्व या उसके पश्चात अपराधों के प्रशमन को अनुज्ञात करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क विधियों में उपबंध किए जा रहे हैं।
2. ऐसे व्यक्ति से, जिसको किसी ऐसे व्यक्ति ने, जो बकायों का संदाय करने का दायी है, अपनी कारबार संपत्ति अंतरित कर दी है, ब्याज सहित राजस्व के बकायों की वसूली करने में समर्थ बनाने के लिए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में एक उपबंध किया जा रहा है।

3. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, आयुक्त (अपील) और अपीलीय प्राधिकरण को किसी पक्षकार को व्यक्तिगत सुनवाई के तीन से अधिक स्थगन प्रदान करने से वर्जित करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम में उपबंध किए जा रहे हैं।
4. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के खंड (xv) में एक खंड टिप्पण अंतःस्थापित किया जा रहा है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी तार में कोई छड़ डालने या पुनःडालने या वैसी ही कोई वस्तु डालने की प्रक्रिया "विनिर्माण" की कोटि में आएगी।
5. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची का मोनोक्रोम (श्याम और श्वेत) टेलीविजन सेटों पर उक्त अधिनियम की धारा 2(च)(iii) के उपबंधों का विस्तार करने के लिए संशोधन किया गया है।
6. केन्द्रीय मूल्य वर्धित प्रत्यय नियम, 2002 में संशोधन किए गए हैं जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 1 अप्रैल, 2000 को या उसके पश्चात निवेशों पर संदत्त आईडी (जीएसआई) केन्द्रीय मूल्य वर्धित शुल्क के संदाय के लिए उपयोग के लिए पात्र होगा।
7. सीमाशुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम और वित्त अधिनियम, 1994 को, अपीली अधिकरण के समक्ष अपील करते समय विनिर्दिष्ट फीस के संदाय का उपबंध करने के लिए संशोधन किया जा रहा है।
8. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 12 ख का लोप किया गया है।
9. नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ड) के अधीन दस्तावेज के पृष्ठांकन से संबंधित उपबंध और केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम के नियम 8 के अधीन छूट प्राप्त टेक्सटाइल विनिर्माता द्वारा प्रत्यय के अंतरण से संबंधित उपबंधों का लोप किया गया है।
10. अधिसूचना सं. 83/2004-सीमाशुल्क (एनटी), तारीख 30 जून, 2004 और सं. 38/2001-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 26 जून, 2001 (यथा संशोधित) को 11 मई, 1982 से भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है।
11. शुल्क ब्याज की दर की अवधारणा की तारीख, प्रतिपाटन शुल्क के अपराधों और शास्तियों से संबंधित सीमाशुल्क अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 क का संशोधन किया जा रहा है।

सेवा कर

(VI), (VII), (VIII) (3) और (VIII) (10) के संबंध में परिवर्तन तुरंत प्रवृत्त होंगे। अन्य परिवर्तन वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2004 के अधिनियमन पर लागू होंगे।

(I) शिक्षा उपकर

सेवा कर के अधधीन सेवाओं पर शिक्षा उपकर उद्गृहीत किया जा रहा है। यह सेवा कर के 2 प्रतिशत की दर से प्रभारित होगा। इनपुट सेवाओं पर संदत्त उपकर आउटपुट सेवाओं पर उपकर के संदाय के लिए प्रत्यय के रूप में उपलब्ध होगा।

(I I) दर और इनपुट प्रत्यय

- मालों और सेवाओं पर सेवा कर और उत्पाद-शुल्क के प्रत्यय का विस्तार किया जा रहा है।
- सेवा कर की दर 8% से बढ़ाकर 10% की जा रही है।

(I I I) निम्नलिखित सेवाओं पर सेवा कर अधिरोपित किया जा रहा है:

- (1) कारबार प्रदर्शनी सेवाएं
- (2) विमानपत्तन सेवाएं
- (3) सड़क मार्ग द्वारा माल का परिवहन (किसी माल परिवहन अभिकरण द्वारा)
- (4) वायुमार्ग द्वारा माल का परिवहन
- (5) खनिजों का सर्वेक्षण और खोज
- (6) रायशुमारी सेवाएं
- (7) प्रतिलिप्याधिकारों से भिन्न बौद्धिक संपदा सेवाएं
- (8) अग्रिम संविदा सेवा
- (9) पंडाल या शामियाना सेवा
- (10) बाह्य खानपान प्रबंधन
- (11) टेलीविजन और रेडियो कार्यक्रम निर्माण
- (12) व्यावसायिक या औद्योगिक भवन या सिविल संरचनाओं के संबंध में संनिर्माण सेवाएं
- (13) यात्रा अभिकर्ता (वायुयान यात्रा/ रेल यात्रा अभिकर्ताओं से भिन्न)

(I V) सेवा कर को जीवन बीमा सेवा के जोखिम कवर तक निर्बंधित किया जा रहा है

(V) कतिपय विद्यमान सेवाओं की परिधि का निम्नवत् विस्तार किया जा रहा है-

- (1) संयंत्र, मशीनरी या उपस्कर के संस्थापन और प्रतिष्ठापन के अंतर्गत उनका "उत्थापन" भी है।
- (2) स्टॉक-दलाल के अंतर्गत "उप दलाल" भी हैं।
- (3) केबल प्रचारक सेवा के अंतर्गत "बहुप्रणाली प्रचालक (एमएसओ)" भी हैं।
- (4) कारबार आनुषंगिक सेवा के अंतर्गत इनपुटों के उपापन, मालों के उत्पादन या ग्राहक की ओर से सेवाओं के उपबंध से संबंधित सेवाएं भी हैं। तथापि, "विनिर्माण की कोटि में आने वाले क्रियाकलापों" को सेवा कर की परिधि से विनिर्दिष्ट रूप से बाहर रखा गया है।
- (5) वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत अन्य विनिर्दिष्ट वित्तीय सेवाएं, अर्थात्, उधार देना, संदाय आदेश जारी करना, डिमांड ड्राफ्ट, चेक, प्रत्यय पत्र, विनिमय पत्र, बैंक प्रत्याभूति देना, ओवर ड्राफ्ट सुविधा, बट्टे पर बिल भुनाई, सेफ डिपॉजिट, लॉकर्स, सेफ वाल्ट और बैंक खातों का प्रचालन भी है। तथापि, ब्याज की रकम को सेवा कर में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। बैंककारी कंपनी के अतिरिक्त वित्तीय संस्थाएं, जिनके अंतर्गत कोई गैर- बैंककारी वित्तपोषण कंपनी, निगमित निकाय, वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाला कोई अन्य वाणिज्यिक समुत्थान भी हैं, भी इसके अंतर्गत आएंगी।
- (6) पर्यटन प्रचालक सेवाओं के अंतर्गत ऐसे पैकेज पर्यटन प्रचालक भी हैं, जो ऐसे पर्यटन का आयोजन करते हैं, जिनमें परिवहन के किसी साधन का उपयोग किया जाता है।

(VI) निम्नलिखित सेवा कर छूटें समाप्त की जा रही हैं:

- (1) सेफ डिपॉजिट लॉकर्स और वाल्ट्स के संबंध में सेवाओं को छूट।
- (2) अनुरक्षण संविदा के अधीन या विनिर्माता द्वारा कंप्यूटरों का अनुरक्षण या मरम्मत।
- (3) होटलों द्वारा प्रदान की जा रही मंडप चलाने वाली सेवाएं। तथापि, 40% की छूट यदि खानपान भी उपलब्ध कराया जाता है तो अनुज्ञात की जाएगी।
- (4) कारबार समनुषंगी सेवा के अधीन, कृषि उत्पादों में व्यौहार कर रहे अभिकर्ताओं से भिन्न, कमीशन अभिकर्ता।
- (5) केबल आपरेटरों द्वारा प्रदान की जा रही प्रसारण सेवा।
- (6) गैर-पैकेज पर्यटनों के लिए छूट 90% से 60% तक घटाना।

(VII) छूटें:

- (1) जब खानपान भी उपलब्ध कराया जा रहा हो तो कन्वेंशन सेवा में 40% की छूट।
- (2) रेंट-ए-कैब स्कीम ऑपरेटरों को 60% की छूट।

(VIII) अधिनियम और नियमों में परिवर्तन:

- (1) विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारण के अनिवार्य सत्यापन को समाप्त किया जा रहा है।
- (2) अरजिस्ट्रीकरण के लिए आज्ञापक शास्ति को समाप्त किया जा रहा है। सद्भावपूर्ण प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के सभी मामलों में, कोई शास्ति अधिरोपित नहीं होगी।
- (3) सेवा कर प्रत्यय नियम के नियम 6 का संशोधन किया गया है। यदि इनपुट सेवा प्रदायकर्ता ने सेवाकर का संदाय नहीं किया है तो प्रत्यय का लाभ लेने वाले व्यक्ति से सेवा कर प्रत्यय की वसूली उस समय नहीं की जा सकती, यदि उसने नियम 5 के निबंधनों में युक्तियुक्त उपाय किए थे।
- (4) सेवा कर के विलंब से संदाय पर 15% वार्षिक की विद्यमान ब्याज दर को 10% से 36% वार्षिक की रेंज वाली ब्याज दर से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार के पास सेवाकर के विलंब से संदाय पर इस रेंज के भीतर ब्याज दर को अधिसूचित करने की शक्ति होगी।
- (5) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67 को यह उपबंध करने के लिए संशोधित किया गया है कि जहां किसी सेवा प्रदाता द्वारा प्रभारित या प्राप्त की गई कुल राशि में संदेय सेवा कर सम्मिलित है, वहां कराधेय सेवा का मूल्य वह राशि होगी जो उस पर संदेय सेवा कर को जोड़े जाने के पश्चात प्रभारित या प्राप्त कुल राशि के बराबर है।
- (6) निर्धारण के सत्यापन और सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण से संबंधित वित्त अधिनियम, 1994 की क्रमशः धारा 71 और धारा 72 का लोप किया जा रहा है।
- (7) कम उद्गृहीत किए गए या कम संदत्त या गलती से प्रतिदाय किए गए सेवाकर की वसूली से संबंधित वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 के उपबंधों का, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11(क) के अनुरूप पुनः प्रारूपण किया जा रहा है। धारा 74 (आदेशों की परिशुद्धि से संबंधित), धारा 76 (जो कपट, मिथ्याकथन आदि के मामलों में शास्ति का उपबंध करती है) और धारा 85 (आयुक्त (अपील) के समक्ष अपीलों से संबंधित) में भी पारिणामिक परिवर्तन किए जा रहे हैं।
- (8) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75 क और 79 के शास्तिक उपबंधों का लोप किया जा रहा है। धारा 77 के अधीन उपबंधों (वर्तमान में जो विवरणी फाइल न करने पर शास्ति का उपबंध करते हैं) को नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने पर शास्ति का उपबंध करने के लिए उपांतरित किया जा रहा है। धारा 76 और धारा 80 में तकनीकी और पारिणामिक संशोधन किए जा रहे हैं।
- (9) कंपनियों के अभियोजन से संबंधित धारा 81 के निरर्थक होने के कारण इसका लोप किया जा रहा है।
- (10) सेवा कर नियम के नियम 6 में यह स्पष्ट करने के लिए कि यदि संदाय अग्रिम रूप से प्राप्त किया जाता है तो सेवा कर समानुपाती आधार पर संदेय होगा, एक स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जा रहा है।

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956

1. यह सुनिश्चित करने के लिए कि अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य अनुक्रम में मालों के विक्रय से संबंधित विषयों पर विभिन्न राज्य सरकारों के बीच विवादों का समाधान सरल है, केन्द्रीय विक्रय अधिनियम के अध्याय 6 में कतिपय संशोधनों का सुझाव दिया गया है।
2. विशेष आर्थिक जोन में स्थित यूनितों को, ऐसी यूनितों की स्थापना, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए केन्द्रीय विक्रय कर संदाय से छूट दी गई है। केन्द्रीय विक्रय कर के संदाय से छूट के फायदे को विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन और अनुरक्षण के प्रयोजन के लिए विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ताओं पर भी विस्तारित किया जा रहा है।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899

1. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में स्टाम्प की परिभाषा का उपबंध करने के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि स्टाम्प शुल्क के संदाय के वैकल्पिक ढंगों को लागू किया जा सके।
2. बीमा पालिसियों की बाबत समेकित स्टाम्प शुल्कों के संदाय के लिए उपबंध किए गए हैं।
3. उस प्रारंभिक स्तर को, जिससे अधिक स्टाम्प शुल्क को 500 रुपए से 5000 रुपए के वर्तमान स्तर से प्राप्तियों पर राजस्व स्टाम्पों के रूप में प्रभारित किया जाता है, बढ़ाने के लिए उपबंध किए गए हैं।